

स्वराज अभियान की दृष्टि और दिशा

अपनी दृष्टि और दिशा के बारे में यह पुस्तिका आपके हाथों में देते हुए स्वराज अभियान को बहुत खुशी हो रही है। इसके जरिये आपको हमारे दृष्टिकोण, रास्ते और प्रमुख समस्याओं के बारे में स्वराज अभियान द्वारा सुझाए गए उपायों की सहज जानकारी मिलेगी।

स्वतंत्र लोकतान्त्रिक देशों में राजनीति को ‘बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय’ का महामार्ग माना गया है। यह लोकसंग्रह की साधना के लिए जरूरी है। इसे राष्ट्रनिर्माण का विज्ञान बताया गया है। लेकिन आज सिद्धांतहीन राजनीति का बोलबाला है। ज्ञानियों ने सिद्धांतहीन राजनीति को सात महापायों में गिना है। हम इस राय के हैं कि सिद्धांतहीन राजनीति समाज में अवसरवादियों को पैदा करती है। अवसरवादी राजनीति से लोकतंत्र में कुर्सीवाद फैलता है। कानून और संविधान की जगह कुर्सी को महत्व दिया जाता है। इससे लोकहित की जगह कुर्सी के लिए एकजुट हुए गिरोहों का स्वार्थ ही राजनीति का सारांश बन जाता है। सेवा की जगह सत्ता और रचना की बजाय स्वार्थ-साधना को राजनीतिक कार्यकर्ता अपना लक्ष्य बना लेते हैं। सदाचार की जगह भ्रष्टाचार की तूती बोलने लगती है। फिर सत्ता से पैसा और पैसे से सत्ता के खेल को सभी राजनीतिज्ञ बढ़ावा देने में शामिल हो जाते हैं। जिस राजनीति की साधना से देश को स्वतंत्रता और लोकतंत्र मिला उसी की आड़ में व्यक्तिवाद, परिवारवाद, जातिवाद और साम्प्रदायिकता का फैलाव किया जाता है। इसमें वोट की आड़ मिल जाती है। सड़क की बेचैनी की अनदेखी करके संसदवाद का सहारा लिया जाता है। सड़क और संसद की दूरी बढ़ने से लोगों का असंतोष और गुस्सा अराजकता की ओर मुड़ने लगता है। इससे कानून-व्यवस्था और शांतिपूर्ण समाज प्रगति की जगह गुंडाराज से लेकर हिंसक गिरोहों और आतंकवादियों तक को बढ़ावा मिलता है। यह जनसाधारण और देश दोनों के लिए हानिकारक है। राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रनिर्माण के लिए खतरनाक है।

इसका विकल्प चाहिए। जैसे भ्रष्टाचार का विकल्प सदाचार और असत्य का विकल्प सत्य होता है वैसे अवसरवादी राजनीति का विकल्प सिद्धांत आधारित समयबद्ध कार्यक्रमों से जुड़ी राजनीति है। इस वैकल्पिक राजनीति से ही स्वराज के अधूरेपन को दूर किया जा सकता है। स्वराज अभियान इस तथ्य को जानता है कि देश में कुछ राजनीतिक जमातें अभी भी वैचारिक आधार पर जनहित की राजनीति का दावा करती हैं। इनमें वैचारिक राजनीति के लिए समर्पित लोग भी बचे हुए हैं। लेकिन इनकी सीमाएं भी जग जाहिर हैं, जिनके कारण इनकी कलई उतर गई है। एक तो, वैसे ऐसे दल औपचारिक तौर पर मार्क्स, गांधी, आंबेडकर, नायकर, लोहिया या जयप्रकाश की पूजा-आराधना करती हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश की कथनी और करनी का अंतर इनके सत्तासीन होते ही जगजाहिर हो गया। दूसरे, अधिकांश ने मूलतः पूंजीवाद, दबंग जमातों और भ्रष्टाचार से समझौता किया है। पूजा चाहे जिसकी करें लेकिन स्वयं को अपनी सर्वोच्चता तथा संतति और संपत्ति के मोह जैसे गैर-लोकतांत्रिक दोषों से नहीं बचा सके हैं। तीसरा, सभी स्थापित दलों पर काले धन से जुड़ी ताकतों का दबदबा हो चुका है। चुनाव के खर्चों के नाम पर चौतरफा धनशक्ति ने सिद्धांतों को हाशिये पर धकेल दिया है। चौथा, अधिकांश दलों की वैचारिक पूंजी चुक गई है। 19-20वीं शताब्दी के विमर्शों से पैदा विचारधाराओं में 21वीं शताब्दी के प्रश्नों जैसे स्त्री-प्रसंग, अस्मिता की राजनीति और भूमंडलीकरण, ऊर्जा संकट और पर्यावरण विनाशी उद्योगीकरण, और दलवादी संसदीय व्यवस्था से आगे जाकर विकेन्द्रित सहभागी लोकतंत्र के प्रति सजगता और समाधान नहीं है। पांचवे, समाज प्रवाह से पैदा ऊर्जा के सदुपयोग के जरिये पुराने प्रश्नों के नए समाधान और नए प्रश्नों के समाधान को नए प्रस्थान के लिए इनकी जड़ता बाधक हो चुकी है। इनकी अधिकांश ऊर्जा लोकशक्ति विस्तार की बजाय चुनावों के इर्द-गिर्द खर्च हो रही है। छः, विचार में समाज के प्रति समर्पण के बावजूद ऐसे दल भी यथास्थितिवादी दलों की तरह नागरिकों की निगरानी और स्वतःस्फूर्त लोकशक्ति के प्रति निरादर का भाव रखते हैं, दूसरे शब्दों में, सबके लिए अर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सम्मान और राजनीतिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध राजनीति प्रवाहशील स्पष्ट सिद्धांतों और समकालीनता से जुड़े कार्यक्रमों के बिना नहीं की जा सकती। इसलिए इन दलों की 1. वैचारिक प्रमाणिकता, और 2. प्रासंगिकता दोनों के प्रति जन-साधारण, विशेषकर नई पीढ़ी में अनास्था है।

हम जनता के इस रुख और रुझान से अवगत हैं। हम इसे उचित मानते हैं। हम विकल्प के लिए जनता की बेचैनी का सम्मान करते हैं। इसलिए वैकल्पिक राजनीति के लिए (क) जन-जागरण, (ख) लोक शिक्षण, (ग) संगठन निर्माण और (घ) नेतृत्व प्रशिक्षण के जरिये सहभागी लोकतंत्र की रचना का रस्ता बताने वाला स्वराज अभियान का यह दस्तावेज आपके सामने प्रस्तुत है। इस दस्तावेज की रचना में जनवरी, 2013 से कई समितियों और विशेषज्ञों ने योगदान किया है। इसे अंतिम रूप प्रो. राकेश सिन्हा जी के संयोजकत्व में बनी समिति ने दिया है। श्री डेविड वरुण कुमार और श्री

विजय राव इसके सदस्य थे। स्वराज अभियान इन सभी के प्रति आभार प्रकट करता है। इन लोगों के कारण ही एक वैकल्पिक नीति पत्र देश के सामने खड़ने में हम सफल हुए हैं। अन्यथा इसे मूर्तरूप देने और जन-विमर्श के लिए प्रस्तुत करने में अनेकों अप्रत्याशित बाधाएं सामने रही हैं, जिसका विवरण देना प्रासंगिक नहीं है।

हम इस पर आपकी राय भी जानना चाहेंगे क्योंकि बिना व्यापक संवाद के हम और आप इसे पक्का नहीं मान सकते हैं। इसलिए आपकी समीक्षा और सुझावों से इसे बेहतर बनाना चाहेंगे।

आइये ! देशधर्म को पूरा करें। असहनीय गरीबी, अन्यायी विषमता, भ्रष्टाचार और प्रकृति विनाश से लड़ रहे भारत के साथ जुड़ें। अवसरवादी गिरेहों से संविधान, राष्ट्रीय एकता और लोकतंत्र को बचाए। भारत को एक शांतिमय और सुन्दर दुनिया की रचना में अपना ऐतिहासिक योगदान करने के लिए सहभागी लोकतंत्र के जरिये सशक्त और सक्षम बनाए।

जयहिन्द! इन्कलाब जिंदाबाद!

प्रो. आनंद कुमार
अध्यक्ष
स्वराज अभियान

अनुक्रम

i. लोकतांत्रिक शासन में स्वराज : जनशक्ति की पुनः स्थापना.....	2
1. सत्ता मौलिक हस्तांतरण.....	2
2. प्रशासन के पैमाने को कम करना.....	4
3. चुनाव सुधार.....	5
4. जनता की सीधी भागीदारी.....	7
5. प्रशासनिक सुधार.....	7
6. पुलिस सुधार.....	8
7. न्यायिक सुधार.....	9
8. लोकपाल और लोकायुक्त.....	10
ii. अर्धव्यवस्था एवं पर्यावरण में स्वराज : समावेशी तथा टिकाऊ विकास को बढ़ावा.....	11
1. व्यापक आर्थिक स्थिरता.....	13
2. पर्यावरण को बचाना.....	15
3. विकेंद्रीकृत और नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में.....	18
4. जनपरिवहन को बढ़ावा.....	19
5. ग्रामीण भारत का सशक्तीकरण.....	21
6. भारतीय कृषि का उत्थान.....	22
7. ईमानदार उद्योग को बढ़ावा.....	24
8. न्यायपूर्ण एवं लचीले श्रम सुधार को समर्थन.....	25
9. नगर नियोजन.....	26
iii. मानव विकास के लिए स्वराज : बेहतर जिंदगी.....	27
1. सबके लिए शिक्षा.....	28
2. सार्वभौमिक स्वास्थ्य प्रावधान.....	30
iv. महिलाओं के लिए स्वराज : 'शक्ति' के हाथों में शक्ति.....	32
v. सामाजिक हाशिए पर लोगों के लिए स्वराज : सद्भाव के लिए न्याय.....	35
1. जाति आधारित असमानता की समाप्ति.....	36
2. अन्य वंचित समूह.....	37
विकलांग व्यक्ति.....	37
खानाबदेश और गैर-अधिसूचित समुदाय.....	38
आदिवासी मुद्दे.....	38
वंचित धार्मिक अल्पसंख्यक और उनके मुद्दे.....	39
vi. वैचारिक स्वराज : लोगों के ज्ञान और नवोन्मेष.....	40
1. भाषा में स्वराज.....	41
2. ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी विकल्प और नवोन्मेष में स्वराज.....	42
3. मीडिया नीति में स्वराज.....	43
4. समुदायों के बीच भाइचारे को बढ़ावा.....	44
vii. शांति के रूप में स्वराज : मानव सुरक्षा-आंतरिक एवं बाहरी.....	45
1. विदेश नीति.....	45
2. आंतरिक सुरक्षा.....	47
पूर्वोंतर में स्वराज.....	48
कश्मीर में स्वराज.....	49
नक्सली सवाल.....	50
3. राष्ट्रीय सुरक्षा.....	51

1. लोकतांत्रिक शासन में स्वराज : जनशक्ति की पुनःस्थापना

लोकतंत्र में सर्वोच्च सत्ता जनता के हाथ में होनी चाहिए। जबकि खासकर हमारे देश में लोकतंत्र की वर्तमान कार्यप्रणाली ने लोगों को सत्ता से दूर करने का काम किया है। स्वराज अभियान का उद्देश्य जनता की शक्ति को वापस बहाल करना है। स्वराज अभियान 'स्वराज' की ऐसी शासन व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें लोगों का अपनी नियति पर नियंत्रण हो, अपने कल्याण से संबंधित मामलों में निर्णय लेने का अधिकार हो, सत्ता के औजारों को निर्देशित करने और शासकों को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने का अधिकार हो। राजनीतिक क्षेत्र में 'स्वराज' या 'स्वशासन' से हमारा यही मतलब है।

आजादी के 68 वर्ष बाद भी 'स्वराज' का सपना पूरा नहीं हो सका है। देश का लोकतंत्र हर पाँच वर्ष पर होने वाले चुनावों की बोझिल प्रक्रिया में सिमट कर रह गया है जब जनता अपने शासकों को चुनती है। जबकि दो चुनावों के बीच उनकी तरफ से उसे उपेक्षा और अपमान ही मिलता है। राजनीतिक पार्टियाँ और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अब जनता की आवाज नहीं रह गए हैं। ये सब अपने निहित स्वार्थों के लिए बस एक चुनावी यंत्र बनकर रह गए हैं। इनका एकमात्र काम वोट जुटाना और बाद में उसे 'चारा' बनाकर पैसे को सत्ता में बदलने और फिर सत्ता से पैसा बनाने के काम में इस्तेमाल करना है। वर्तमान व्यवस्था में भ्रष्टाचार इस पैमाने पर फैला है कि व्यवस्था खुद संस्थागत भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गई है। 'प्रतिनिधि आधारित लोकतंत्र' प्रणाली जनता को 'सुशासन' के छलावे में रखती है, लेकिन वह 'स्वशासन' का विकल्प कदापि नहीं है।

स्वराज अभियान का विश्वास है कि शासन की मौजूदा व्यवस्था, भले वह ईमानदार और कुशल अधिकारियों द्वारा चलाई जाए, जनता को 'स्वराज' नहीं दे सकती। राजनीतिक व्यवस्था के मौलिक पुनर्गठन के बिना 'भ्रष्टाचार मुक्त भारत' संभव नहीं है। सुदूर, अतिकेंद्रित और गैरजिमेदार निर्णय-प्रक्रिया वाली इस वर्तमान व्यवस्था को बदलना होगा। एक ऐसी व्यवस्था की बुनियाद डालनी होगी, जिसमें सत्ता सीधे लोगों के नियंत्रण में हो, निर्णय-प्रक्रिया में जनता सहभागी हो और राजनीतिक प्रतिनिधि एवं शासन के पदाधिकारी जनता के प्रति जवाबदेह हों। इसके लिए सत्ता को केंद्र से गांवों की ओर ले जाना होगा। शासन का भार कम कर, छोटे राज्यों या जिलों तक ले जाना होगा। नीति-निर्धारण में जनता की सीधी भागीदारी की गुंजाइश बढ़ानी होगी। इन सबके लिए व्यापक चुनाव-सुधार करना होगा। प्रशासन, पुलिस और न्यायपालिका को पारदर्शी, तत्पर और जवाबदेह बनाने के लिए भी व्यापक सुधार की जरूरत है।

1. सत्ता का मौलिक हस्तांतरण

हमारे देश में सत्ता का पिरमिड सिर के बल खड़ा है। इसे सीधा खड़ा करने के लिए, निर्णय लेने की शक्ति को जनता के निकटतम प्राथमिक इकाई में बहाल करने की जरूरत है। 'स्वराज' का अर्थ है - लोगों को अपने जीवन और आजीविका को प्रभावित

करने वाले सभी तरह के निर्णय लेने का पूरा अधिकार। यह अधिकार समान रूप से सभी लोगों को हासिल हो। सबको समान गरिमा एवं सम्मान के साथ, निर्मांकित सिद्धांतों के आधार पर, इस अधिकार का प्रयोग करने का समान अवसर हो :

- निर्णय लेने के दायरे का स्थानांतरण प्राथमिक इकाई (ग्रामीण या शहरी क्षेत्र) में कर दिया जाना चाहिए। किसी भी माध्यमिक इकाई (जैसे, ज़िला या राज्य) या उससे ऊपर की इकाई (केंद्र सरकार) को सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहिए, जहाँ छोटी इकाई सार्थक और प्रभावी तरीके से कार्य नहीं कर सकती।
- यथासंभव सभी मामलों का निपटारा स्थानीय समुदाय द्वारा, प्रतिनिधियों की मध्यस्थता के बिना, प्रत्यक्ष निर्णय से किया जाना चाहिए।
- ऐसे निर्णय, जहाँ प्राथमिक स्तर से ऊपर की इकाइयों का एकत्रीकरण आवश्यक हो, वहाँ लोगों के प्रति प्रभावी ढंग से जवाबदेह प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए।
- प्रत्येक स्तर की निर्णय-प्रक्रिया में महिलाओं, हर तरह के अल्पसंख्यकों और सामाजिक रूप से उपेक्षित समूहों की अनिवार्य तथा प्रभावी भागीदारी हो।

हमारी नीति

1. वर्तमान द्विस्तरीय प्रणाली (केंद्र एवं राज्य सरकार) और कहने भर को तीसरे स्तर की व्यवस्था को बदल कर, प्रशासन के छह स्तरों— ग्रामीण/शहरी क्षेत्र, क्लस्टर (क्षेत्र समूह), ब्लॉक, ज़िला, राज्य और केंद्र को संवैधानिक रूप से अनिवार्य शक्तियों के साथ स्थापित किया जाए। इसी सिलसिले में शहरी क्षेत्रों में, निवास की जगह और आजीविका की जगह पर लोगों की भागीदारी के अलावा इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा कि बहुत-से लोग रोजी-रोटी की तलाश में एक जगह टिक कर नहीं रह पाते।
2. प्राथमिक इकाई (ग्रामीण/ शहरी क्षेत्र): ग्राम सभा या मोहल्ला/वार्ड सभा (प्राथमिक इकाई के लोगों की सभा) के पास प्रभावी निर्णय लेने की शक्ति हो, राजस्व उगाही और विवादों को निपटाने का अधिकार हो, पर्याप्त धन के साथ—साथ इन इकाइयों के प्रति जवाबदेह पदाधिकारी हों।
3. माध्यमिक इकाई (क्लस्टर और ब्लॉक): क्लस्टर (10 गांव या क्षेत्र का समूह) और ब्लॉक (10 क्लस्टर का समूह) स्तर पर प्रतिनिधि प्रशासन की शुरुआत हो। क्लस्टर और ब्लॉक की सीमाओं को पर्यावरण एवं क्षेत्रीय परिदृश्य और पंचायती राज की सीमाओं तथा प्रतिनिधित्व के साथ जोड़ा जाए, ताकि महिलाओं, हर तरह के अल्पसंख्यकों और सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों की आनुपातिक उपस्थिति सुनिश्चित हो।
4. यह सुनिश्चित हो कि वित्तीय जिम्मेदारी, जैसे कर-संग्रह और सरकारी कार्यक्रमों पर व्यय का निष्पादन शासन की वही इकाई करे जो इसे क्रियान्वित करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है।
5. उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ विशिष्ट नीतिगत उदाहरण :

- i. प्राथमिक इकाइयों को मिले फंड का एक बड़ा हिस्सा असंबद्ध रूप में हो ताकि वे अपनी जरूरतों एवं प्राथमिकताओं के अनुसार उन्हें इस्तेमाल करें, न कि योजना आयोग और दूर बैठी सरकार के द्वारा लिये गए निर्णयों के आधार पर।
- ii. ग्राम सभा में निर्दिष्ट संख्या के बजाए संख्यात्मक न हो, बल्कि उपेक्षित समूहों जैसे महिलाओं और दलितों की पर्याप्त उपस्थिति पर आधारित हो।
- iii. जिला स्तर पर एक सामाजिक न्याय लोकपाल (एस. जे. ओ.) यह सुनिश्चित करे कि ग्राम सभा/मोहल्ला सभा की कार्यवाही और निर्णय संवैधानिक ढांचे के भीतर हैं। ऐसे मामलों में, जहाँ सामाजिक उत्पीड़न की चिंता हो, ग्राम सभा/मोहल्ला सभा की कार्यवाही का निरीक्षण या वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए एस. जे. ओ. को बुलाया जा सकता है (या उन्हें अपनी ओर से ऐसा करने का अधिकार होगा)। साथ ही, एस.जे.ओ. को असंवैधानिक फैसले को निरस्त करने का भी अधिकार हो।

विचारणीय प्रश्न

1. क्या सभी करारों, कानूनों तथा नीतियों पर (प्राथमिक इकाइयों के) सारे लोगों की राय लेना अनिवार्य होना चाहिए?
2. क्या कर-संग्रह और इसका उपयोग विकेन्द्रित प्राथमिक स्तर पर होना चाहिए या बेहतर होगा कि केंद्रीकृत तरीके से संग्रह कर प्राथमिक और माध्यमिक इकाइयों को अनिवार्य (गैर विवेकाधीन) हस्तांतरण किया जाए?
3. क्या ग्राम सभा/मोहल्ला सभा को वैसे कानून बनाने का अधिकार होना चाहिए, जो संविधान के ढांचे के भीतर हों और संबंधित क्षेत्र से बाहर के लोगों पर असर न डालते हों?

2. प्रशासन के पैमाने को कम करना : जिला प्रशासन एवं छोटे राज्य

सत्ता के मौलिक हस्तांतरण के साथ-साथ प्रतिनिधिमूलक शासन के मौजूदा पैमाने को भी कम करने की आवश्यकता है। वर्तमान में, लोक कल्याण के सारे नीतिगत फैसले राज्य स्तर पर लिए जाते हैं, जो आमतौर पर अधिक आबादी वाला, बहुत बड़ा और इसलिए अव्यावहारिक होता है। सत्ता का हस्तांतरण समस्या के केवल एक भाग को हल कर सकता है, क्योंकि बहुत से निर्णय माध्यमिक स्तर के प्रशासन से परे लेने होंगे। हमारा प्रस्ताव है कि निम्नलिखित मूलभूत तरीके से प्रशासन के पैमाने को कम किया जा सकता है:

- प्रशासन की क्षेत्रीय इकाइयों के पैमाने का नया स्वरूप।
- जिला स्तर पर एक निर्वाचित सरकार, जो राज्य के अधिकांश कार्य कर सके।
- भारतीय संघ का छोटे राज्यों में पुनर्गठन।

हमारी नीति

1. **जिला सरकार :** जिले में एक प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सरकार हो, जिसका अपना विधानमंडल तथा एक राजनीतिक कार्यपालिका हो। यह सरकार राज्य या केन्द्र सरकार

के प्रति जवाबदेह न होकर, सीधे लोगों के प्रति जवाबदेह होगी। संविधान में राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले बहुत से विषयों को नई जिला सूची में हस्तांतरित किया जाए। जिला सरकार के पास संसाधन जुटाने की या राष्ट्रीय कर-संसाधन में हिस्सेदारी की संवैधानिक रूप से अनिवार्य शक्ति हो। जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर जैसी औपनिवेशिक संस्था को समाप्त कर दिया जाए। जिले के लिए एक मुख्य सचिव हो जो जिला सरकार की सहायता करे।

2. छोटे राज्य : सरकार को संवेदनशील और जवाबदेह बनाने की मांग ने, प्रशासनिक अक्षमता को दूर करने की जरूरत ने और जनप्रिय आकांक्षाओं ने राज्य पुनर्गठन के एक नए चरण के लिए मंच तैयार किया है। द्वितीय राज्य पुनर्गठन आयोग को देखना चाहिए कि कैसे भारतीय संघ में छोटे राज्य बनाये जाएँ। भाषा आधारित राज्यों के सिद्धांत को तिलांजलि देने की जरूरत नहीं है। बहुहाल, 'एक भाषा, एक राज्य' का फॉर्मूला जो गैर-हिंदी भाषी राज्यों में अपनाया गया उसे संशोधित कर 'एक राज्य, एक भाषा' की तर्ज पर राज्यों का निर्माण किया जा सकता है। इस प्रकार, प्रत्येक राज्य की एक प्रमुख भाषा होगी, लेकिन कुछ लोकप्रिय मांग, क्षेत्रीय पहचान और प्रशासनिक औचित्य को ध्यान में रखते हुए ज्यादा आबादी में बोली जाने वाली कुछ भाषाओं के लिए एक से ज्यादा राज्य हो सकते हैं।

विचारणीय प्रश्न

1. क्या छोटे राज्य और जिला सरकार, दोनों आवश्यक हैं? या, यदि जिला सरकार कार्यात्मक और प्रभावी हो जाए तो मौजूदा राज्यों को बने रहने दिया जाए?

3. चुनाव सुधार

हालांकि अब हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की एक प्रणाली, सीमित अर्थों में ही सही, विकसित हो गई है। लेकिन राजनीतिक प्रतिनिधित्व की यह प्रणाली नागरिकों को सारथक एवं ठास विकल्प प्रदान नहीं करती, न ही यह राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के लिए एक समान स्तर प्रदान करती है। हमें ऐसे व्यापक चुनाव सुधार की आवश्यकता है जो लोकतांत्रिक जड़ों को मजबूत करे, और साथ ही साथ, 'स्वराज' के राजनीतिक आदर्श के अनुकूल हो। इसके लिए आवश्यक है :

- मतदाताओं के लिए उपलब्ध विकल्पों का विस्तार।
- प्रतिनिधियों को चुनने की मौजूदा पद्धति में बदलाव।
- सूचना और संसाधनों तक सबकी निष्पक्ष और समान पहुँच।
- चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन के लिए मजबूत तंत्र।

हमारी नीति

1. चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सरकार के बजाय एक बहु सदस्यीय संवैधानिक समिति द्वारा की जानी चाहिए। चुनाव आयोग को कानून बनाने सहित वे सारे अधिकार दिए जाने चाहिए जिन्हें वह अपने स्वतंत्र कामकाज के लिए मांगता आ रहा है।

2. राजनीतिक पार्टियों के लिए अपने आय-व्यय का खुलासा करने के सख्त नियम,

उनके हिसाब-किताब की बारीकी से जांच, व्यक्तिगत चंदे की अधिकतम सीमा और कुल व्यय की वास्तविक सीमा निर्धारित कर काले धन की भूमिका को खत्म किया जाना चाहिए।

3. राजनीतिक दलों को सूचना और संचार माध्यम की सुविधा समान रूप से उपलब्ध कराई जानी चाहिए। संचार माध्यम की विकृतियों, जैसे— बिकाऊ खबरें (पेड न्यूज), हितों का टकराव, राजनीतिक दलों या परिवारों का मीडिया में स्वामित्व, असीमित मीडिया विज्ञापन और सत्तारूढ़ पक्ष के विज्ञापन के लिए जनता के पैसे का दुरुपयोग आदि को विनियमित (नियम-कायदों के जरिए मर्यादित) किया जाना चाहिए।
4. राजनीतिक पार्टियों के आंतरिक कार्य-सम्पादन को विनियमित कर यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वे अपने संविधान की बुनियादी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाओं का पालन करें, आरटीआई के तहत पारदर्शिता के मानदंडों का पालन करें और नियंत्रक-महा लेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा अनुमोदित लेखा परीक्षकों से उनके खातों की जाँच हो। छोटे और नए दलों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रावधान किए जाएं।
5. मौजूदा चुनाव प्रणाली (फर्स्ट-पास्ट-द-पोस्ट) में एक वोट से भी आगे रहने वाले को निर्वाचित और बाकी उम्मीदवारों को मतदाताओं द्वारा खारिज मान लिया जाता है। चुनाव की समानुपातिक प्रणाली को पूरक के तौर पर अपनाकर मौजूदा प्रणाली की एक बड़ी विसंगति दूर की जा सकती है तथा इसे बेहतर बनाया जा सकता है।
6. ‘वापस बुलाने का अधिकार’ का प्रावधान प्रतिनिधित्व के सभी स्तरों पर लागू किया जाना चाहिए।
7. एक राष्ट्रीय निर्वाचन कोष के माध्यम से (राजकीय वित्तीय सहायता के द्वारा) चुनावी एवं अन्य वैध राजनीतिक खर्चों की खातिर सबसिडी दी जानी चाहिए। प्रत्येक पार्टी या उम्मीदवार, जिन्हें एक न्यूनतम सीमा से अधिक वोट मिले और जो अपने हिसाब-किताब सार्वजनिक करने सहित पारदर्शिता के मानदंडों का अनुसरण करें, उन्हें उनको मिले हर वोट की दर से प्रतिपूर्ति की जाए।
8. सार्वजनिक और निजी मीडिया पर सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए अनिवार्य और मुफ्त प्रसारण समय मिले।

विचारणीय प्रश्न

1. महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी प्रक्रिया क्या हो सकती है – आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, नामांकन (उम्मीदवारी) के नियांसित कोटे या दोहरे सदस्य वाले निर्वाचन क्षेत्र?
2. धार्मिक समूहों के सामाजिक रूप से वंचित समुदायों का व्यवस्थाबद्ध रूप से कम प्रतिनिधित्व रहने की समस्या का निवारण कैसे किया जाए?
3. चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता और ईमानदारी सुनिश्चित करने के लिए बहु सदस्यीय संवैधानिक समिति की सर्वश्रेष्ठ संरचना क्या होगी?

4. जनता की सीधी भागीदारी

'स्वराज' शासन के स्तर पर लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी के साथ-साथ, कानून और नीतियां बनाने की प्रक्रिया में भी प्रत्यक्ष भागीदारी पर जोर देता है। हालांकि कानून और नीतियां निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा निरंतर आधार पर बनाए जाएंगे। लेकिन प्रतिनिधियों की अनुक्रियाशीलता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नागरिक हस्तक्षेप की जरूरत है, जिसे निम्न रूप से हासिल किया जा सकता है :

- विधायी-पूर्व विमर्श।
- शासन के स्थानीय और छोटे स्तर पर जनमत संग्रह।
- ऐसे प्रावधान जो कानून और नीति निर्माण में नागरिकों को पहल करने की इजाजत देते हों।

हमारी नीति

1. कानूनों, नीतियों और अंतरराष्ट्रीय संधियों की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए। इन फैसलों से प्रभावित लोगों को पूर्व सूचना देने और उनसे परामर्श करने के तकाजे का एक अनिवार्य प्रक्रिया की तरह पालन हो। प्रमुख नीतियों, कानूनों तथा संधियों की बाबत शासन की प्राथमिक इकाइयों की जन सभाओं का परामर्श अनिवार्य हो।
2. जीवन और आजीविका को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाले कानूनों और नीतियों पर, परियोजना या नीति से प्रभावित समूह के लोगों के बीच जनमत संग्रह अनिवार्य हो।
3. विधायिका द्वारा अनुमोदित किसी भी कानून, नीति या अंतरराष्ट्रीय संधि को निरस्त करने के लिए नागरिकों को वोट की अनुमति हो। यह मतदाताओं के एक छोटे-से समूह द्वारा शुरू किया जा सकता है और विधायिका द्वारा पारित किसी कानून या नीति पर सीधा मतदान की मांग की जा सकती है। जनमत संग्रह का निर्णय बाध्यकारी होगा।
4. नागरिकों द्वारा कानूनों और नीतियों की पहल करने के लिए, इसे विधायिका के समक्ष या प्रत्यक्ष मतदान के लिए सीधे लोगों के बीच रखने का प्रावधान हो।
5. जनमत संग्रह अभियान में सूचना और संसाधनों की बराबरी सुनिश्चित की जाए।

विचारणीय प्रश्न

1. क्या सभी कानूनों, नीतियों और संधियों पर सभी जन सभाओं (प्राथमिक इकाइयों) का परामर्श अनिवार्य होना चाहिए?
2. जनमत संग्रहों में व्यक्तियों को या जन सभाओं को वोट करना चाहिए?
3. शासन के प्रत्येक स्तर पर, किस तरह के कानूनों या नियमों को जनमत संग्रह के लिए रखना या नहीं रखना चाहिए? क्या ऐसे भी मामले हैं जहाँ कानूनों को निरस्त करने का विकल्प खुला नहीं होना चाहिए?

5. प्रशासनिक सुधार

आम नागरिकों का राज्य से सामना सरकारी अधिकारियों के माध्यम से ही होता है। इसलिए ऊपर सुझाए गए प्रत्यक्ष और प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र के सभी सुधार अप्रभावी

ही रहेंगे जब तक कि औपनिवेशिक ढांचे के प्रशासन में आमूलचूल परिवर्तन न किया जाए। इसके लिए प्रशासन को :

- अपने कामकाज में पारदर्शी होना चाहिए।
- अपने पेशेवर कर्तव्यों में स्वायत्त होना चाहिए।
- नागरिकों और उनके प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए।

हमारी नीति

1. सभी प्रशासनिक अधिकारी किसी न किसी जिला कैडर के हों जिन्हें जिला लोक सेवा आयोग (डीपीएससी) द्वारा भर्ती किया जाए। प्रस्तावित डीपीएससी स्थानीय क्षेत्र से अधिक से अधिक लोगों की भर्ती करने की कोशिश करे।
2. सिविल सेवा आयोग की तरह एक स्वतंत्र निकाय हो जो सभी प्रशासनिक अधिकारियों के कैरियर, पदोन्नति और तबादले को प्रभावित करने वाले मामलों पर राजनीतिक तटस्थला के साथ फैसला ले।
3. सभी सरकारी अधिकारियों और विभागों की जवाबदेही, संबंधित स्तर पर, जनप्रतिनिधियों और सीधे लोगों के प्रति सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाए। इस तंत्र में सरकारी अधिकारियों के कामकाज पर लोगों की प्रतिक्रिया को शामिल किया जाए और चरम मामलों में लोगों द्वारा सरकारी अधिकारियों को वापस बुलाने की भी व्यवस्था हो।
4. नागरिकों को अपनी सामूहिक शिकायत पर सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार हो जिसमें संबंधित प्रशासनिक या न्यायिक अधिकारियों की अनिवार्य भागीदारी हो।

विचारणीय प्रश्न

1. कैसे एक तंत्र विकसित किया जाए जिसमें सरकारी अधिकारियों के कामकाज पर लोगों की प्रतिक्रिया को शामिल किया जाए?
2. कैसे सरकारी अधिकारियों के लिए एक तरफ शासन तंत्र के भीतर ऊपरी सोपान के प्रति जवाबदेही और दूसरी तरफ जनप्रतिनिधियों तथा स्वयं जनता के प्रति जवाबदेही में संतुलन बनाया जाए?

6. पुलिस सुधार

पुलिस अपनी संरचना में आज भी मूल रूप से एक जनविरोधी तथा औपनिवेशिक चरित्र की संस्था है। यह महकमा शासन के विस्तारित अंग की तरह और अक्सर स्वयं को कानून समझने की मानसिकता से काम करता है। स्वराज के सिद्धांत के अनुसार, पुलिस को लोगों के अनुकूल बनाने के लिए एक बुनियादी फेरबदल की आवश्यकता है। लिहाजा, पुलिस सुधारों में निम्नलिखित पहलू शामिल होने चाहिए :

- पुलिस लोगों के प्रति अधिक जवाबदेह हो।
- पुलिस का राजनीतिक दुरुपयोग रोकने के लिए उसे अधिकर पेशेवर और स्वायत्त बनाया जाए।
- पुलिस के भीतर शक्तियों का बँटवारा एवं विकेंद्रीकरण हो।

- पुलिस बल के लिए बेहतर प्रशिक्षण और काम करने की मानवीय स्थिति हो।

हमारी नीति

1. पुलिस सुधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का क्रियान्वयन, जिसके अनुसार पुलिस को राजनीतिक कार्यपालिका के हथों होने वाले दुरुपयोग से बचाने के लिए अधिक से अधिक कार्यात्मक स्वायत्तता।
2. स्थानीय स्तर पर नियमित जन सुनवाई और मानवाधिकार आयोग या सामाजिक न्याय लोकपाल के रूप में स्वतंत्र नागरिक निकायों द्वारा सामाजिक आकलन (सोशल ऑडिट) के माध्यम से, लोगों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
3. कानून-व्यवस्था और जाँच-पड़ताल के लिए पुलिस की दो अलग-अलग शाखाएं बनाई जाएं। हिरासत में लेने की शक्ति को पुलिस से हटाया जाए और हिरासत प्रक्रिया को न्यायिक बनाया जाए। किसी भी तरह की पूछताछ न्यायिक हिरासत में की जाए।
4. ग्राम सभा को सशक्त बनाकर उसे छोटे अपराधों के पंजीकरण, मध्यस्थता या न्याय निर्णयन का पहला पड़ाव बनाया जाए।
5. पुलिसकर्मियों के काम करने की स्थिति में सुधार हो, काम के घंटे मानवोचित आधार पर निर्धारित किये जाएं। शिकायत निवारण तंत्र में सुधार हो। संगठित होने और यूनियन बनाने की अनुमति एवं प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन की सतत व्यवस्था हो। महिलाओं और समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों के प्रति पुलिस को संवेदनशील बनाया जाए।
6. महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के प्रति पुलिस को और संवेदनशील बनाने के लिए :

 - किसी भी पुलिस अधिकारी द्वारा प्राथमिकी (एफ.आई.आर.) दर्ज करने से इनकार को एक दण्डनीय अपराध माना जाए।
 - पुलिसकर्मियों में कम से कम 33% महिलाएं हों। महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की जांच करने के लिए केवल महिला अधिकारी हों।
 - पुलिसकर्मियों को महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाया जाए।
 - पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले सभी सार्वजनिक स्थलों की वीडियोग्राफी हो।

विचारणीय प्रश्न

1. क्या काडर प्रणाली को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और एक एकल प्रवेश स्तर की शुरुआत की जानी चाहिए?

7. न्यायिक सुधार

मौजूदा न्यायिक प्रणाली अत्यधिक रीतिवाद, असाधारण विलम्ब, न पुसाने वाले खर्च और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में जकड़ी हुई है। इस न्यायिक प्रणाली के चलते लोगों का न्याय से सहज जु़दाव खत्म हो गया है। यह समस्या का समाधान होने की जगह खुद समस्या का एक स्रोत बन गई है। प्रभावी एवं त्वरित न्याय के लिए, न्यायपालिका को

जवाबदेह बनाने के लिए और उसे लोगों के करीब लाने के लिए मौजूदा न्यायिक प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। इन सुधारों के लिए आवश्यक है :

- प्रक्रियात्मक कानून के मौजूदा प्रावधानों का सरलीकरण।
- अधिक अदालतों का निर्माण और न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि।
- उचित चयन प्रक्रिया और न्यायाधीशों की जवाबदेही।

हमारी नीति

1. न्याय तक सबकी पहुँच सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक प्रणाली में सुधार किए जाएं। दो तरह के न्यायालय बनें—एक, ग्राम न्यायालय – आम लोगों को प्रभावित करने वाले सामान्य विवादों के लिए, और दूसरा, नियमित अदालतें—जटिल दीवानी, आपराधिक और वाणिज्यिक मामलों के लिए। ग्राम न्यायालयों को ब्लॉक स्तर पर स्थापित किया जाए। इसमें कम जटिल प्रक्रियाओं का पालन हो और चलती-फिरती (मोबाइल) अदालतों के माध्यम से ब्लॉक के सारे गांवों को समाविष्ट (कवर) किया जाए।
2. प्रत्येक अदालत के समक्ष कार्यभार के अनुपात में सभी स्तरों पर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि से त्वरित न्याय सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक अदालत एक दिन में सिर्फ उन्ने ही मामले सूचीबद्ध करे जिनकी सुनवाई कर सके।
3. राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा न्यायाधीशों का चयन हो। न्यायाधीशों की अधिक से अधिक जवाबदेही तय हो।
4. दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता और साक्ष्य अधिनियमों का सरलीकरण हो। अदालत साक्ष्य अधिनियम द्वारा बाध्य न हो, न्यायसंगत मूल्यांकन से किसी विवादित प्रश्न पर साक्ष्य की समीक्षा करे।
5. स्थानीय अदालतों में (जिला स्तर तक) सुनवाई स्थानीय भाषा में हो।
6. देश भर में सुप्रीम कोर्ट के पांच क्षेत्रीय पीठों का निर्माण हो।
7. शिकायतों की सुनवाई और न्यायाधीशों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर न्यायिक आचार आयोग का गठन हो।
8. सामान्य मामलों की जांच छह महीने के भीतर और जटिल मामलों की जांच एक वर्ष में पूरी की जाए।

विचारणीय प्रश्न

1. क्या उच्च न्यायालयों में एक भारतीय भाषा (अंग्रेजी के अलावा) को अपनाया जाना चाहिए?
2. क्या निर्णायिक समिति (ज्यूरी प्रणाली) होनी चाहिए?

8. लोकपाल और लोकायुक्त

पिछले कुछ वर्षों में, शासन के सभी स्तरों पर बढ़ते भ्रष्टाचार के सबूत यह दर्शाते हैं कि भ्रष्टाचार कितना बढ़ गया है। यह देश के कुछ उच्चतम कार्यालयों में भी पहुँच गया है। यह बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। भ्रष्टाचार सिर्फ शासन की ही समस्या नहीं है,

हर नीति और सुधार को प्रभावी बनाने के लिए भी इसे दूर करने की जरूरत है। समय की मांग है कि जन लोकपाल आंदोलन में परिकल्पित एक शक्तिशाली, स्वतंत्र एवं प्रभावी भ्रष्टाचार निवारण एजेंसी—केंद्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्त—की स्थापना की जाए।

हमारी नीति

1. लोकपाल और लोकायुक्त बहुसदस्यीय निकाय हों। इनका चयन व्यापक आधार पर एक चयन समिति द्वारा हो जिसमें न्यायपालिका के सदस्य, सीएजी, सीईसी, सीवीसी, मानवाधिकार आयोग और सरकार एवं विपक्षी पार्टियों द्वारा मनोनीत सदस्य हों। इस समिति में सरकार बहुमत में नहीं होनी चाहिए।
2. लोकपाल और लोकायुक्त के पास क्रमशः केंद्र और राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों और सरकार से अनुदान-प्राप्त गैरसरकारी संगठनों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच करने का अधिकार हो। इसके अलावा विसलब्लोअर संरक्षण प्राधिकरण भी हो।
3. सीबीआई लोकपाल के प्रशासनिक नियंत्रण में और सीआईडी राज्य लोकायुक्त के अधीन हों। इनके पास जांच एजेंसियों द्वारा दायर आरोपण के अभियोग के लिए अपना अभियोजन विभाग हो। लोकपाल और लोकायुक्त की वित्तीय स्वायत्ता के लिए सरकार द्वारा उनके लिए तय खर्च-सीमा में उन्हें अपना बजट स्वयं बनाने की अनुमति हो।
4. लोकपाल या लोकायुक्त के सदस्य सुप्रीम कोर्ट के प्रति जवाबदेह होंगे जिसे उनके खिलाफ किसी भी शिकायत की जांच करने का अधिकार होगा। पारदर्शी कामकाज और जांच का ब्योरा एक सार्वजनिक वेबसाइट पर डाल कर आगे की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। इसके अलावा, लोकपाल के सालाना कामकाज की लेखापरीक्षा (ऑडिट) सीएजी से कराई जाए।
5. प्रत्येक लोक प्राधिकरण के भीतर एक नागरिक चार्टर बने जिसमें विभिन्न कार्यों के लिए निर्दिष्ट समय का निर्धारण हो और इसके उल्लंघन पर लोकपाल और लोकायुक्त को सजा तय करने का अधिकार हो।
6. भ्रष्टाचार के जिस भी मामले में सजा हो, सरकारी खजाने का नुकसान सरकारी कर्मचारियों की निजी संपत्ति और उस मामले में शामिल कंपनियों से बरामद किया जाए।

विचारणीय प्रश्न

1. लोकपाल की नियुक्ति करने वाली समिति की संरचना क्या होगी?

II. अर्थव्यवस्था और पर्यावरण में स्वराज : समावेशी तथा टिकाऊ विकास को बढ़ावा

स्वशासन और योजनाबद्ध आर्थिक विकास के छह दशकों से ज्यादा बीत जाने के बाद भी, भारत की आबादी का दो तिहाई से अधिक हिस्सा किसी न किसी प्रकार के अभाव में जी रहा है। गरीबी, सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता, बेरोजगारी और पर्याप्त आश्रय की कमी है। इस अवधि में हमारे प्राकृतिक पर्यावरण में हर तरह का बिगड़ आया है

: प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र की गिरावट, जंगल और कृषि जैव विविधता का क्षरण, आधे से अधिक उपलब्ध जल स्रोतों का प्रदूषित होना, देश की दो तिहाई भूमि की उपजाऊ क्षमता में गिरावट और कई शहरों में वायु प्रदूषण के स्तर में खतरानाक वृद्धि। जाहिर है, हम जिस तरह से अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी का प्रबंधन कर रहे हैं उसमें कुछ बुनियादी खामियां हैं। समस्या केवल यह नहीं है कि किस तरह हमने अपने विकास की योजना लागू की है, बल्कि समस्या खुद विकास के प्रचलित मॉडल के साथ है।

स्वराज अभियान विकास का एक वैकल्पिक मॉडल चाहता है। अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी के बारे में हमारा दर्शन विकेन्द्रीकृत शासन, पारदर्शिता, स्थिरता, जवाबदेही और न्यायपरस्ती जैसे हमारे गहरे मूल्यों से प्रेरित है। यह जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं और आजीविका के अवसरों तक न्यायसंगत पहुंच सुनिश्चित कर, मजबूत आर्थिक विकास और समग्र कल्याण की राह प्रशस्त करेगा। युवा महिलाओं और पुरुषों के लिए कृषि और सेवा क्षेत्र में आकर्षक रोजगार और आजीविका के अवसर पैदा करेगा। यह आजीवन सीखने और कौशल उन्नयन के लिए अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने का प्रयास करेगा, जिससे व्यक्तिगत और राष्ट्रीय विकास को प्रोत्साहन मिले। यह कम क्रियान्वयन लागत और भ्रष्टाचारमुक्त वातावरण के जरिये और कुशल एवं विश्वसनीय बुनियादी सुविधाओं तथा सेवाओं के प्रावधान के जरिये और उपयोगी नवाचार के प्रोत्साहन से ईमानदार उद्यम को प्रोत्साहित करेगा।

स्वराज अभियान ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करेगा। कृषि क्षेत्र और ग्रामीण लघु उद्योगों का समर्थन करेगा। यह भारत का आर्थिक आधार विस्तृत करेगा और खाद्य, ऊर्जा और भारत की पारिस्थितिकी की दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। यह गरिमा के साथ अपनी आजीविका कमाने के लिए नागरिक को बेहतर क्षमता और साधन से लैस करेगा। उपयोगी रोजगार के मद्देनजर अक्षम और असमर्थ लोगों के लिए एक सामाजिक सुरक्षा होगी, ताकि वे सम्पानजनक जीवन जी सकें। स्वराज अभियान एक कुशल, जवाबदेह और पारदर्शी सरकार के पक्ष में है जो अति नियमन और बहुत कम नियमन, दोनों तरह की अतियों से बचे, जो अपनी नीतियों का समय से क्रियान्वयन और अपने कामकाज की नियमित समीक्षा करे।

स्वराज अभियान समावेशी, टिकाऊ और समान विकास के लिए प्रतिबद्ध है। अब 'वाम' बनाम 'दक्षिण', 'सरकार नियंत्रित' बनाम 'मुक्त बाजार' और 'निजी क्षेत्र' बनाम 'सार्वजनिक क्षेत्र' जैसे द्विआधार रूढ़िवादों में से किसी पर भी देश और अपने लोगों के भले के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता। दुनिया भर में राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था का अनुभव दर्शाता है कि इससे न तो विकास हुआ और न ही न्याय मिला। जिस गरीब के नाम पर इसे बनाया गया, बाद में उसी के खिलाफ काम हुआ। पूरी दुनिया में 'मुक्त बाजार' अर्थव्यवस्थाओं का अनुभव बताता है कि नियमन से मुक्त बाजार जनता की सेवा नहीं करते। न्यायसंगत वितरण के लिए उन पर भरोसा

नहीं किया जा सकता। तथाकथित मुक्त बाजार अवसर जनता के खिलाफ काम कर रहे शक्तिशाली निहित स्वार्थों के कब्जे में आ जाता है और नाकाम साबित होता है। हमें इन रूढ़िवादों (आर्थोडॉक्सेस) से परे सोचने और विकास का एक वैकल्पिक मॉडल साकार करने के लिए नए साधन बनाने की जरूरत है।

1. व्यापक आर्थिक स्थिरता

उपरोक्त उद्देश्यों को हासिल करने के लिए, हमें स्वतंत्र भारत में अपनाए गए आर्थिक विकास के दोनों रास्तों से परे जाना होगा। पहला, जो पहले तीन दशकों में अपनाया गया जिसमें राज्य का नियंत्रण, सार्वजनिक क्षेत्र पर निर्भरता, आयात प्रतिस्थापन की रणनीतियां और अंतरराष्ट्रीय बाजार से अलगाव, आदि शामिल थे। इस रास्ते एक युवा देश की आर्थिक नींव रखने में मदद तो मिली, लेकिन हम विकास, आत्मनिर्भरता और गरीबी दूर करने में विफल रहे। दूसरा रास्ता ‘आर्थिक सुधारों’ का है, जो पिछले पच्चीस वर्षों में अपनाया गया। इसमें अर्थव्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए खोलने, आंतरिक नियमन (रेगुलेशन) हटाने व घटाने, सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश और सेवा क्षेत्र पर जोर रहा है। इस रास्ते आर्थिक वृद्धि तो हुई लेकिन असमानता बढ़ी। लोक कल्याण तो दूर, रोजगार के अवसर भी अधिक संख्या में नहीं पैदा हुए।

इन दो ढांचों से अलग एक वैकल्पिक ढांचा तैयार करना आसान नहीं है। इसके लिए खोज और प्रयोग करने होंगे। आर्थिक नीतियों में स्वराज के लिए आवश्यक होगा :

- आर्थिक निर्णय लेने में राष्ट्रीय सम्प्रभुता की रक्षा।
- आम आदमी की चिंताओं को प्राथमिकता देना; रोजगार सृजन, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण और गरीबी उन्मूलन।
- अर्थव्यवस्था के विस्तार और पारिस्थितिकी स्थिरता के बीच संतुलन।
- वैश्वीकरण के इस युग में दुनिया के साथ व्यापार और आर्थिक संपर्क को बढ़ावा।
- निजी पहल और सार्वजनिक क्षेत्र के हस्तक्षेप में विवेकपूर्ण संतुलन।
- समुदाय आधारित उद्यमों को बढ़ावा।

हमारी नीति

1. अर्थव्यवस्था को बाहरी बाजार के बजाय घरेलू बाजार की ओर नई दिशा देनी होगी। सट्टेबाजी वाली आर्थिक गतिविधियों की जगह उत्पादक क्षेत्रों को प्रोत्साहन देना होगा। श्रम-बहुल प्राथमिक और मज़ाले क्षेत्र और पिछड़े क्षेत्रों में निवेश को प्रोत्साहन देना होगा। छोटे और कुटीर क्षेत्र व स्थानीय सहकारी समितियों के निर्माण को प्रोत्साहित तथा विलासिता वाली चीजों की खपत को हतोत्साहित करना होगा।
2. अनधिकृत अर्थव्यवस्था (ब्लैक इकोनॉमी) को रोकने के लिए दोहरे कर-निर्धारण समझौते (डबल टैक्सेसन एग्रीमेंट) पर फिर से बातचीत होनी चाहिए। टैक्स चोरी के रास्ते बंद करने होंगे। सामान्य बचाव विरोधी नियम (जनरल एंटी अवॉइडन्स रूल, जीजीएआर) के क्रियान्वयन पर जोर देना होगा। बैंकिंग क्षेत्र, कॉरपोरेट,

रेखांकन और इंट्रा फार्म बिक्री का विनियमन के साथ-साथ प्रभावी निगरानी करनी होगी। हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग (कालेधन को सफेद करना) से निपटने के लिए 'मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट' का प्रभावी कार्यान्वयन करना होगा। सरकार को उपलब्ध संसाधनों को बढ़ाने और ईमानदारी से व्यापार का माहौल बनाने के लिए काला धन के मामले में अपराध क्षमा का दृढ़ निषेध करना होगा।

3. **राजकोषीय नीति :** एक प्रगतिशील कर ढांचे की ओर बढ़ते हुए कर और सकल घरेलू उत्पाद (टैक्स-जीडीपी) अनुपात को बढ़ाना होगा। अप्रत्यक्ष करों पर निर्भरता को कम और प्रत्यक्ष करों तथा कार्बन करों के आधार का विस्तार करना होगा। सामान्य प्रयोजन अनुदान के रूप में सांविधिक, गैर विवेकाधीन स्थानांतरण के माध्यम से इस अतिरिक्त राजस्व की ज्यादातर राशि जिला और स्थानीय सरकारों को दी जाए। सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च, रोजगार सृजन, पर्यावरण के सुधार और गरीबी हटाने के लिए अधिक से अधिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं। इसके लिए रक्षा व्यय को तर्कसंगत बनाया जाए। अप्रभावी और पर्यावरण के लिहाज से नामाकूल सबसिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाए। किसी भी प्रकार की सबसिडी, चाहे वह गरीबों के प्रत्यक्ष लाभ के लिए हो या धनी और कॉरपोरेट्स को कर-छूट के लिए, उसे लक्ष्यबद्ध और तर्कसंगत बनाया जाए। इसके लाभ पर नजर रखी जाए और लाभ को साबित किया जाए।
4. **मौद्रिक नीति :** इसे सार्वजनिक हित को सर्वोपरि रखते हुए तय किया जाए। व्याज दर का स्तर इस तरह निर्धारित किया जाए कि वह साझा आर्थिक विकास में मदद दे, घरेलू अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करे, उससे छोटी बचत को प्रोत्साहन मिले और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में निष्पक्ष ऋण आवंटन हो। इससे माइक्रोक्रेडिट, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में रुद्धिवादी कर्ज परिपाटियां बंद होंगी, जो कि विशेष रूप से कृषि, लघु उद्योग, हस्तशिल्प और अन्य परंपरागत रोजगारों में प्रचलित हैं।
5. **वैश्विक वित्तीय बाजार से जुड़ी अर्थव्यवस्था के वित्तीयकरण को प्रोत्साहित किया जाए** जिससे प्रभावी नियमन के साथ निवेश का सीधा प्रवाह वास्तविक अर्थव्यवस्था की दिशा में सुनिश्चित हो सके। शेयरों और वास्तविक अर्थव्यवस्था से ताल्लुक न रखने वाली वस्तुओं के लिए अभिकल्पित वित्तीय बाजार बनाने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ी है। हम निवेश प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए घरेलू बचत और निवेश को प्रोत्साहित करेंगे और बाजार अस्थिरता से छोटे निवेश की रक्षा के लिए प्रयास करेंगे।
6. **विदेश व्यापार :** बढ़ते भुगतान घटे को पाटने के लिए, विलासिता के सामान और सोने का आयात रोका जाए जिसका स्थानीय स्तर पर उत्पादन किया जा सकता है। तेल के आयात को कर बढ़ाकर कम किया जाए और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को प्रोत्साहित किया जाए। कीमत और गैर-कीमत उपायों, जैसे- उत्पादों की गुणवत्ता

का उन्नयन, खेप का तेजी से वितरण और निर्यातकों के लिए प्रोत्साहन और बेहतर बुनियादी ढांचे तथा बिक्री के द्वारा सेवाओं में सुधार के जरिए निर्यात को बढ़ावा दिया जाए। कुछ मौजूदा द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों जैसे टीआरआईपीएस (ट्रिप्स) और टीआरआईएमएस (ट्रिम्स) की समीक्षा की जरूरत है।

विचारणीय प्रश्न

1. सट्टेबाजी और वायदा कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए सबसे अच्छी नीति क्या है?
2. वैश्विक वित्तीय ढांचे, जिसमें विश्व व्यापार संगठन, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष शामिल हैं, के पुनर्गठन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है?
2. **पर्यावरण को बचाना**

भारत विपुल प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है, लेकिन आज हम इन संसाधनों का बहुआयमी क्षरण देख रहे हैं। इस प्रक्रिया में लोक कल्याण के बुनियादी संसाधनों की आम लोगों तक पहुंच में गंभीर रूप से कटौती की गई है। भारत की आबादी का दो तिहाई या अधिक हिस्सा किसी न किसी प्रकार की गंभीर वंचना भुगत रहा है। किसी भी कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि हासिल करने की नीतियों ने आम संसाधन जैसे जल, जंगल, जमीन और खनिज को बुरी तरह से प्रभावित किया है और यह कुछ हाथों में केंद्रित हो गया है। इससे ग्रामीण आजीविका, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और राज-काज पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। हम मानते हैं कि पर्यावरण नीति में पारिस्थितिकी स्थिरता के सिद्धांतों को लागू करने के साथ-साथ लोक कल्याण, सामाजिक न्याय और आने वाली पीढ़ियों को भी ध्यान में रखकर ही वृद्धि और विकास की बात शामिल की जानी चाहिए। विकास का आधार :

- भारत न्याय-केंद्रित और सतत भविष्य होना चाहिए।
- आम जन का सशक्तीकरण और जीवन तथा आजीविका की सुरक्षा होनी चाहिए।
- सत्ता के विकेन्द्रीकरण को बढ़ावा देने के साथ-साथ उपलब्ध मानव और प्राकृतिक संसाधनों का न्यायसंगत उपयोग होना चाहिए।
- ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने वाली वैश्विक संधियों और वैश्विक सम्मेलनों के निर्णयों प्रति भी हम प्रतिबद्ध हैं।

हमारी नीति

हरित एवं टिकाऊ आर्थिक विकास में निवेश बढ़ाने, विकासात्मक गतिविधियों के नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने और मानव सुरक्षा तथा लोक हिस्सेदारी में वृद्धि के लिए व्यापक आर्थिक नीति, वित्तीय उपायों और राजकोषीय प्रोत्साहन या हतोत्साहन को नए सिरे से तय करने की आवश्यकता है।

- आर्थिक वृद्धि से संबंधित संकेतकों की जगह पर्यावरण और सामाजिक कल्याण के संकेतकों को अपनाया जाए।

- सारा बुनियादी ढांचागत विकास इस तरह से हो कि वह पर्यावरण के लिहाज से टिकाऊ तथा सामाजिक-आर्थिक रूप से न्यायसंगत हो।
 - पर्यावरणीय असर डालने वाली परियोजनाओं के स्वतंत्र ऑडिट और जमीनी अध्ययन के लिए एक तंत्र गठित हो।
 - पर्यावरण नियमन का सरलीकरण, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के उपयोग में वृद्धि और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की निगरानी व पर्यावरणीय अदालतों की स्थापना हो।
 - ऐसी उत्पादन प्रक्रियाओं व खपत के तौर-तरीकों का संवर्धन और प्रोत्साहन हो जो पर्यावरण के लिहाज से निरापद तथा सामाजिक-आर्थिक रूप से न्यायसंगत हों।
 - नवीकरणीय स्रोतों के उपयोग से टिकाऊ प्रौद्योगिकी और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर व्यवस्थित कदम बढ़ाए जाएं।
2. एक संवैधानिक रूप से मान्य पर्यावरण (या 'टिकाऊ विकास') आयुक्त की स्थापना हो। इसके पास घरेलू और बाहरी दोनों तरह की भारतीय पारिस्थितिकी पर नजर रखने का अधिकार हो। साथ ही, जलवायु परिवर्तन पर वैशिक संधियों का अनुपालन कराने का भी अधिकार हो।
3. एहतियाती सिद्धांत और 'प्रदूषण फैलाने पर भुगतान' के सिद्धांत को प्रमुखता देते हुए प्रदूषण नियंत्रित किया जाए। प्रदूषणकारी उद्योगों और उत्पादों को मजबूत विधायी या राजकोषीय उपायों के जरिए हतोत्साहित और गैर-प्रदूषणकारी तथा पर्यावरण की दृष्टि से निरापद उद्योगों और उत्पादों को प्रोत्साहित किया जाए।
4. प्राकृतिक पारिस्थितिकी, वन्यजीवों तथा जैव विविधता की रक्षा के लिए संरक्षण तथा प्रबंध की ऐसी पहल हो, जिसका नियंत्रण प्राकृतिक संसाधनों को साझा करने वाले समुदायों व समुदाय-समूहों के हाथ में रहे।
5. सभी प्राकृतिक संसाधनों को राष्ट्रीय संपदा माना जाए। इस पर राज्य का स्वामित्व हो। इसका इस्तेमाल जनहित में किया जाए जिसमें स्थानीय समुदाय को प्राथमिकता दी जाए। ग्राम सभा या अन्य स्तर के भागीदारी निकायों के पाध्यम से, स्थानीय समुदाय ही प्रबंधक, संरक्षक और प्राकृतिक संसाधनों के शेयरधारक हों।
6. विकेन्द्रीकृत और भागीदारी प्रक्रियाओं पर आधारित दीर्घकालिक राष्ट्रीय भूमि, खनिज और पानी के उपयोग की नीतियों और योजनाओं की तैयारी हो (उदाहरण के लिए बॉक्स देखें)। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा इसकी एजेंसियों और वन विभाग का सुधार, ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि पर्यावरण और वनों से संबंधित मौजूदा कानूनों का मजबूती से कार्यान्वयन हो। प्रभावी, सुनिवेजित और बड़े पैमाने पर वनीकरण का संचालन करने का हर सरकार का विशेषाधिकार होना चाहिए।
7. निजी कंपनियों को प्राकृतिक संसाधनों की बिक्री के लिए पारदर्शी ई-नीलामी के जरिए की जानी चाहिए।
8. चरागाहों, वनभूमि, पानी और अन्य ग्रामीण सार्वजनिक संपदा के प्रबंधक के रूप में महिलाओं को शामिल किया जाए और उनके अधिकारों को कानूनी मान्यता दी जाए।

राष्ट्रीय जल नीति

- संविधान में एक मौलिक अधिकार के रूप में जल का अधिकार निहित हो।
- एक व्यापक जल तंत्र कानून बने।
- पानी के लिए योजना बनाने में, सतह और भूमिगत जल पर एक एकीकृत दृष्टिकोण के साथ, नदी को इकाई माना जाए और योजना प्रक्रिया को सहभागी बनाया जाए।
- व्यापक वर्षा जल संचयन, वाटरशेड विकास, मिट्टी-पानी संरक्षण कार्यक्रमों, छोटी परियोजनाओं और वैकल्पिक कृषि परिपाटियों पर आधारित, स्थानीय और विकेन्द्रीकृत जल संसाधन के विकास को प्राथमिकता दी जाए।
- 1 मेगावाट क्षमता से ऊपर की सभी जल विद्युत परियोजनाओं और सभी बड़े बांधों के सामाजिक और पर्यावरण प्रभाव आकलन अनिवार्य होने चाहिए।

राष्ट्रीय भूमि-उपयोग नीति

- एक राष्ट्रीय भूमि योजना, और साथ ही हर शहर, कस्बे, गांव और जिले के लिए एक मास्टर प्लान होना चाहिए। इस राष्ट्रीय योजना का इस्तेमाल एसईजेड आवंटित करने में किया जा सकता है।
- भूमि अधिग्रहण बिल का मजबूती से पालन किया जाना चाहिए :
 - सार्वजनिक उद्देश्य की एक सख्त परिभाषा सुनिश्चित हो जिसके लिए अधिग्रहण किया जा सकता है, जैसे- सड़क, रेलवे आदि की परियोजनाओं तक वह सीमित होना चाहिए।
 - किसी भी अन्य सार्वजनिक उद्देश्य की परियोजना के लिए भूमि का अधिग्रहण (जैसे शैक्षिक संस्थानों, अस्पतालों, शहरीकरण आदि) में ग्राम सभा या मोहल्ला सभा की सहमति आवश्यक है।
 - निजी परियोजनाओं या सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी मॉडल) के लिए भूमि का कोई जबरन अधिग्रहण नहीं। छोटे विक्रेताओं की मदद के लिए सुरक्षा उपायों के साथ सौदा तय करने की स्वतंत्रता और सौदे की तय बातों का पालन सुनिश्चित होना चाहिए।
 - अधिग्रहण के लिए सहमति के न्यूनतम स्तर को कम नहीं किया जाए, विशेष रूप से निजी उद्देश्य वाली या पीपीपी परियोजनाओं के लिए।
 - यदि अधिग्रहण के 5 साल बाद भी जमीन का इस्तेमाल नहीं होता है, तो जमीन किसानों को वापस दे दी जाए।
 - जिनकी आजीविका प्रभावित हो उन्हें पुनर्वास और पुनर्वास लाभ एक पेशेवर नियामक संस्था के आकलन के आधार पर दिया जाए। इस आकलन की प्रक्रिया में प्रभावित समुदाय के प्रतिनिधि भी शामिल हों भूमि और आजीविका के उचित मुआवजे के निर्धारण की एक प्रणाली विकसित की जाए।

विचारणीय प्रश्न

1. किसी क्षेत्र से निकाल गई प्राकृतिक संपदा (जैसे खनिज) में, स्थानीय समुदायों की हिस्सेदारी की प्रकृति और स्वरूप कैसा होना चाहिए?

3. विकेन्द्रीकृत और नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में

पारिस्थितिक स्थिरता सुनिश्चित करते हुए, देश के सभी नागरिकों की बुनियादी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए स्वाराज अभियान प्रतिबद्ध है। जैसे-जैसे भारत की जनसंख्या और अर्थव्यवस्था बढ़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता और बढ़ती जाती है। भारत के ऊर्जा भविष्य की हमारी दृष्टि एक कार्बन मुक्त, परमाणु मुक्त अर्थव्यवस्था की कल्पना करती है। इसमें स्वच्छ, पुनःपूर्ति योग्य और नवीकरणीय संसाधनों को समर्थन दिया जाएगा। भारत के भौगोलिक एवं भूगर्भीय परिदृश्य के कारण, यहां की क्षमता सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत के लिए बेमिसाल है। हमें इन संभावनाओं का दोहन करने की आवश्यकता है।

ऊर्जा नीति के निम्नलिखित आधार होने चाहिए :

- जीवन और अर्थिक गतिविधियों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करना।
- सामाजिक दृष्टि से हानिकारक और अक्षम ऊर्जा के उपयोग की रोकथाम, ऊर्जा जरूरतों का प्रबंधन और ऊर्जा संरक्षण तकनीक को अंगीकार करना।
- विकेन्द्रीकृत और अक्षय ऊर्जा के लिए चरणबद्ध बदलाव।

हमारी नीति

1. मध्यम और लंबी अवधि की ऊर्जा रणनीति के हिस्से के रूप में सौर, हवा, ज्वार, भूतापीय, पशु आधारित और बायोमास आधारित ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर मुख्य जोर हो।
2. छोटी और विकेन्द्रीकृत अक्षय ऊर्जा प्रणालियों में बड़े निवेश के साथ ही उन्हें राजकोषीय और विधायी प्रोत्साहन तथा उनके अनुसंधान एवं विकास को समर्थन मिले। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को प्रोत्साहन मिले। ऊर्जा सकारात्मक घरों को प्रोत्साहित करने के लिए घर इकाई तक बिजली का विकेन्द्रीकरण; और मुख्य ग्रिड को पुनः जोड़ा जाए।
3. ऊर्जा शुल्क में 'सच्ची' लागत, जैसे पर्यावरणीय और सामाजिक लागत, को शामिल किया जाए। साथ ही जीवन रक्षा, गरिमापूर्ण जीवन और विलासितापूर्ण जीवन के 3ंतर को चिह्नित किया जाए। मांग और आपूर्ति के आधार पर बिजली की बाबत कुशल और पारदर्शी मूल्य निर्धारण तंत्र हो।
4. संदर्भ उपयुक्त रूपांतरण और निकासी प्रौद्योगिकी के साथ, ऊर्जा संसाधनों पर स्थानीय समुदाय को अधिकार दिए जाएं।
5. सभी ग्रामीण परिवारों के लिए सुरक्षित और पारिस्थितिकी की दृष्टि से मुफीद, खाना पकाने के ईंधन की व्यवस्था हो। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पशु व्युत्पन्न ऊर्जा और

परिवहन की तकनीक व दक्षता में सुधार के लिए अनुसंधान तथा विकास को समर्थन मिले।

6. स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर बिजली की पूर्ति के लिए छोटे संयंत्रों से पनबिजली को प्रोत्साहन मिले।
7. मौजूदा थर्मल पावर संयंत्रों की दक्षता में सुधार हो। जीवाश्म ईंधन की भारी और सामाजिक लागत की वजह से, दीर्घकाल में इससे चरणबद्ध तरीके छुटकारा पाया जाए।
8. तेल एवं प्राकृतिक गैस को लोक कल्याण के लिए एक राष्ट्रीय संसाधन के रूप में माना जाए और इस पर कोई निजी एकाधिकार न हो।

विचारणीय प्रश्न

1. वर्तमान में, भारत की ऊर्जा जरूरतों का साठ-सत्तर प्रतिशत कोयला और परमाणु ऊर्जा से आता है। ऐसे कौन-से लघु और मध्यम उपाय हो सकते हैं कि हम एक परमाणु मुक्त, कार्बन मुक्त अर्थव्यवस्था के अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें?
2. परमाणु ऊर्जा के पक्ष-विपक्ष क्या हैं, परमाणु हथियारों से उसका क्या संबंध है और भारत के ऊर्जा भविष्य में इसका क्या स्थान है?
4. जन परिवहन को बढ़ावा

हाल के वर्षों में, परिवहन में असंतुलित प्राथमिकताओं की ओर अधिक ध्यान रहा, जैसे तेज और महंगा परिवहन; पर्यावरण का ध्यान नहीं रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच कमज़ोर जुड़ाव भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ढहते जाने के मुख्य कारणों में से एक है। शहरों के अस्सी फीसदी से अधिक लोग पैदल या साइकिल से या ज्यादातर सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करते हैं, लेकिन शहरी बुनियादी ढांचा निजी वाहनों से चलने वालों के पक्ष में है। भारत बड़े पैमाने पर परिवहन की बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने के लिए प्रयास कर रहा है। ऐसे में, हमें इसके केंद्र-बिन्दु (फोकस) में बदलाव करने और इसके केंद्र में आम आदमी और पर्यावरणीय स्थिरता को लाने की जरूरत है।

स्वराज अभियान परिवहन नीति की प्राथमिकताओं को आम आदमी की ओर नई दिशा देना चाहता है :

- सार्वजनिक, सबको उपलब्ध और सस्ता परिवहन बनाना।
- परिवहन पर्यावरण के अधिक से अधिक अनुकूल हो यह सुनिश्चित करना।
- बाकियों के आसान आवागमन की कीमत पर, कुछ के लिए गति सुनिश्चित नहीं होती।
- परिवहन संबंधी निर्णय लेने में जनता की भागीदारी।

हमारी नीति

1. ग्रामीण संपर्क सुविधा (कनेक्टिविटी) के विकास की गुणवत्ता और प्राथमिकता पर ध्यान देने के साथ ही सड़कों और राजमार्गों की कुल लंबाई बढ़ाई जाए।
2. परस्पर गांव-संपर्क में सुधार के लिए, गांवों के समूहों को विधिवत सशक्त बनाया

जाए ताकि वे सड़कों की देखभाल कर सकें। स्थानीय पड़ोस के बाहर अपनी उपज की ढुलाई के लिए किसानों को सर्से परिवहन की बेहतर सुविधा प्रदान की जाए।

3. रेलवे के विकास को प्राथमिकता और इसके प्रशासन में सुधार के लिए :

- i. रेल के बुनियादी ढांचे में निवेश द्वारा माल ढुलाई के लिए रेल परिवहन को प्रोत्साहन और सड़क मार्ग की तुलना में रेल मार्ग को वरीयता क्योंकि यह बहुत ही कुशल माध्यम है।
 - ii. योजना बनाने में यात्रियों, कम दूरी के यात्रियों, यात्री गाड़ियों और माल ढुलाई के संचालन की वित्तीय व्यावहारिकता में सुधार पर फोकस सुनिश्चित किया जाए।
 - iii. रेल के बुनियादी ढांचे में सुधार के साथ तेज रेल परिवहन को बढ़ावा और पेट्रोलियम बचाने तथा प्रदूषण कम करने के लिए कम दूरी की उड़ान को समाप्त करना।
 - iv. रेलवे विक्रेताओं के बीच कर्टेल बनाने पर रोक और माल ढुलाई की लागत तथा मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और कुशल प्रशासन।
4. हल्की भूतल रेल परिवहन व्यवस्था और द्रुत बस पारगमन को प्राथमिकता मिले। छोटे शहरों और कस्बों की खातिर सार्वजनिक परिवहन के लिए समान संसाधन आवंटन हो।
5. मौजूदा जलमार्ग और नदी मार्ग का परिवहन के वैकल्पिक साधन के रूप में विकास हो। पहाड़ों या पहाड़ी क्षेत्रों जैसे कम जनसंख्या धनत्व वाले क्षेत्रों में, सड़क अक्सर बहुत विनाशकारी और पर्यावरण की दृष्टि से हानिकारक है। ऐसे क्षेत्रों में, सरल रज्जुमार्ग (रोपवे) की तरह पर्यावरण अनुकूल आवाजाही (कनेक्टिविटी) विकल्पों का पता लगाया जाए और प्राथमिकता तय की जाए।
6. देश के विभिन्न भागों में हवाई अडांगे के विकास और रखरखाव तथा नए निर्माण के लिए निजी संसाधनों का उपयोग सुनिश्चित किया जाए।
7. आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक परिवहन और गैर-मोटरचालित वाहनों के उपयोग और निर्माण को प्रोत्साहन मिले तथा निजी कारों के इस्तेमाल को हतोत्साहित किया जाए। प्रदूषण घटाने और हमारी सड़कों का बोझ कम करने में सहायक उपभोक्ता-व्यवहार को प्रभावित करने के लिए प्रोत्साहन और हतोत्साहन की व्यवस्था हो। साइकिल और बस निर्माताओं के लिए प्रोत्साहन हो।
8. फुटपाथ चौड़ा करने के साथ-साथ साइकिल लेन का निर्माण हो। रिक्षा और ई-रिक्षा के नियमन और देश के कई भागों से गैर-मोटरचालित वाहनों पर प्रतिबंध उठाया जाए।
9. ग्राम सभा, मोहल्ला सभा की भूमिका बढ़े और परिवहन से संबंधित निर्णय लेने के दायरे का विस्तार हो जो वर्तमान में नगरपालिका द्वारा ऊपर से नीचे लिया जाता है।

विचारणीय प्रश्न

1. राष्ट्रीय एवरलाइनों पर हमारा क्या विचार है?
2. क्या रेलवे में पीपीपी मॉडल या सार्वजनिक परिवहन के एक हिस्से के निजीकरण के लिए विकल्प खुले हों?

5. ग्रामीण भारत का सशक्तीकरण

भारत के गांवों में बुनियादी सुविधाएं घटिया और बहुत सारी जगहों पर नदारद हैं। गांवों में शैक्षिक गुणवत्ता, रोजगार और मनोरंजन के अवसरों की कमी के साथ-साथ राजनीतिक सशक्तीकरण का अभाव भी है। इसके अलावा, गांवों से शहरी क्षेत्रों में भारी संख्या में पलायन होता है। और, यह आधुनिक विकास का एक अनिवार्य परिणाम माना जाता है। स्वराज अभियान सामाजिक-आर्थिक संकट और पारिस्थितिकी नुकसान के कारण ग्रामीण भारत को गुमनामी में गायब नहीं होने देगा। हम ग्रामीण क्षेत्रों को पुनः जीवंत करने और बनाए रखने के लिए यथासंभव प्रयास करेंगे। गांवों के बारे में हमें पता है कि जाति, लिंग, वर्ग, धर्म और अन्य कारकों के आधार पर असमानता, भेदभाव और विभिन्न प्रकार के शोषण होते हैं जिन्हें समाप्त करने की आवश्यकता है। स्वराज अभियान (धारा 1 में उल्लिखित) मूलभूत राजनीतिक विकेंद्रीकरण और भारतीय कृषि (धारा 2.6 में उल्लिखित) के सशक्तीकरण द्वारा ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने का प्रयास करेगा। इन कदमों के अलावा, हम निम्नलिखित कदम भी उठाएंगे :

- एक अच्छे गुणवत्तापूर्ण जीवन के साथ-साथ बुनियादी जरूरतों, माल और सेवाओं के लिए प्रावधान सुनिश्चित करेंगे।
- ग्रामीण और प्राथमिक अर्थव्यवस्थाओं से शहरी और मझोली अर्थव्यवस्थाओं की ओर समग्री तथा मानव संसाधन के प्रवाह को उलटना होगा।
- बड़े पैमाने पर उत्पादन के बजाय जनता के द्वारा उत्पादन को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जाएगी।

हमारी नीति

1. बुनियादी जरूरतों, विशेष रूप से- पीने के पानी, जल निकासी, स्वच्छता, गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, संपर्क सुविधा (कनेक्टिविटी), दूरसंचार, इंटरनेट, विश्राम और मनोरंजन की सुविधाओं तक ग्रामीणों की पहुंच का प्रावधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
2. ग्रामीण समुदायों को अपेक्षाकृत आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने के लिए :
 - i. छोटे पैमाने पर उत्पादन को प्रोत्साहित कर ग्रामीण औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाए।
 - ii. प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक क्षेत्रों में सम्मानजनक आजीविका सुनिश्चित की जाए।
 - iii. उच्च गुणवत्ता के बुनियादी ढांचे, स्थानीय ज्ञान और कौशल के निर्माण, और पारिस्थितिक स्थिरता पर विनियोग के साथ, स्थानीय निवासियों के द्वारा और उनके साथ समन्वित योजना निर्माण।

3. स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए सामुदायिक और सहकारी उत्पादक समितियों को समर्थन मिले और उनके गठन को सुविधाजनक बनाया जाए।
4. सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक योजना बनाने के लिए शासन की मूल इकाई को अधिकृत और सशक्त बनाया जाए। यह सुनिश्चित हो कि सभी सरकारी व्यय ऐसे शासन और योजना पर आधारित हों और बाहरी एजेंसियों पर अंतहीन निर्भरता के बजाय आत्मनिर्भरता की ओर उन्मुख हों।
5. सभी के लिए सम्मानजनक, हरित नौकरियां और आजीविका सुनिश्चित हो। पारिस्थितिकी के अनुकूल प्राथमिक क्षेत्र की आजीविका, जैसे- कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और वानिकी पर विशेष फोकस हो। इसके पूरक स्थानीय संसाधनों पर आधारित विकेंद्रीकृत विनिर्माण इकाइयों और पर्यटन, आईटी और अन्य सेवा क्षेत्रों जैसे पारंपरिक और आधुनिक क्षेत्रों में सेवा आधारित नौकरियां हों।

6. भारतीय कृषि का उत्थान

भारतीय कृषि संकट में है। खेती अब एक लाभकारी और सम्मानजनक व्यवसाय नहीं है। यह माना जाता है कि अर्थव्यवस्था के ‘विकास’ के साथ ही आजीविका के एक प्रोत और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के एक क्षेत्र के रूप में कृषि की उपेक्षा होनी ही है। स्वराज अभियान इस नियति को चुनौती देने के लिए संकल्पित है। हम मानते हैं कि कृषि भारत की ग्रामीण आबादी के बड़े हिस्से को सम्मानजनक आजीविका प्रदान कर सकती है। इसे हमारी अर्थव्यवस्था के एक जीवंत क्षेत्र में तब्दील किया जा सकता है। यह हमारे देश को खाद्य सुरक्षा प्रदान कर सकती है। हम मानते हैं कि इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। विकास के वर्तमान मॉडल ने ‘रोजगारविहीन विकास’ का उत्पादन किया है और यह शहरीकरण टिकाऊ नहीं है।

स्वराज अभियान आर्थिक संकट के कारण प्रवास की बढ़ती प्रवृत्ति को दूर करना चाहता है। इसके लिए पारंपरिक उद्योगों, लघु उद्यमों और कृषि क्षेत्र में बेहतर बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता, औपचारिक ऋण तक आसान पहुंच, उपयुक्त तकनीकी हस्तक्षेप और उचित मूल्य निर्धारण के जरिए ठोस उपाय करने होंगे।

हम एक नए अंदाज में, भारतीय कृषि को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। इसके लिए :

- कृषि को लाभकारी एवं सम्मानजनक व्यवसाय बनाना होगा।
- उत्पादन में उच्च उत्पादकता और विविधता पर ध्यान केंद्रित रखते हुए, किसानों के परंपरागत और उभरते ज्ञान की रक्षा, प्रोत्साहन और समर्थन करना होगा।
- उत्पादकता बढ़ाने और जानकारी की खाई पाटने के लिए स्थानीय मूल्यवर्धन और प्रौद्योगिकी लाभ का निर्माण करना होगा।

हमारी नीति

1. किसानों और अन्य प्राथमिक उत्पादकों के लिए न्यूनतम आय सुनिश्चित करने के मकसद से एक तंत्र विकसित करना होगा।

I. वैधानिक शक्तियों से लैस एक किसान आय आयोग की स्थापना हो जो किसानों

की आय की रक्षा एवं निगरानी करे। साथ ही अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच आयगत समानता के मकसद से नजर रखे।

- ii.** स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का क्रियान्वयन सुनिश्चित हो। न्यूनतम समर्थन मूल्य, उत्पादन लागत से कम से कम पचास प्रतिशत अधिक तय हो। साथ ही, इस फार्मूले को सभी फसलों, फलों और सब्जियों, दूध और पशुधन उत्पादों के लिए बढ़ाया जाए।
- iii.** बाजार की कीमतें जब भी न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे गिरें, वैसी स्थिति के लिए एक कीमत मुआवजा तंत्र तैयार किया जाना चाहिए। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य और बाजार मूल्य के बीच अंतर का भुगतान प्रत्यक्ष नकद समर्थन उपाय के माध्यम से किया जाए। दूध और अन्य पशुधन उत्पादों के लिए न्यूनतम उत्पादक मूल्य तय हो।
- iv.** फसल बीमा सिर्फ ऋण से जुड़ा नहीं हो, छोटे क्षेत्र के लिए भी मान्य हो। 75% प्रीमियम सरकार द्वारा और बाकी भुगतान किसान द्वारा किया जाए।
- 2. जमीन जोतने वाले और जमीन मालिक किसान, दोनों के अधिकारों की रक्षा के लिए भूमि सुधार, हृदबंदी और पुनर्वितरण कानूनों का पुनर्गठन हो। अधिशेष और अन्य भूमि का गरीब कृषक परिवारों में पुनर्वितरण हो। व्यक्तियों और कंपनियों दोनों के मददेनजर वर्तमान और उपयुक्त भूमि हृदबंदी कानून का सख्त कार्यान्वयन हो। अनुपस्थित भूस्वामियों और गैर-कृषकों के स्वामित्व को सीमित किया जाए। विधायी रूप से यह अनिवार्य किया जाए कि कोई भूमि बेनामी न रहे।
- 3. पैदावार बिक्री और खरीद को पारदर्शी बनाया जाए और यह सुनिश्चित हो कि मुनाफे का ज्यादा हिस्सा किसान के बजाय बिचौलिया न ले उड़े। किसान कहीं भी और किसी भी कीमत पर अपने उत्पाद बेचने के लिए सक्षम होना चाहिए और अंतिम विकल्प के रूप में सरकार उत्पादन की लागत पर अच्छा लाभ दे।
- 4. मंडियों का प्रबंधन अधिक पारदर्शी बनाने के लिए एपीएमसी एक्ट में संशोधन हो। किसानों के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण हो और उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए जगह चयन करने की स्वतंत्रता हो।
- 5. आवश्यक निर्यात पर प्रतिबंध और रियायती आयात से किसानों के हितों की रक्षा हो, और ऐसी दीर्घकालिक आयात-निर्यात नीतियों का ढांचा तैयार हो, जिसमें राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।
- 6. पारिस्थितिकी के अनुकूल कृषि पद्धतियों की ओर कदम बढ़ाया जाए। विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के माध्यम से जैविक खेती की पहल का समर्थन किया जाए और रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों को चरणबद्ध तरीके से बाहर करने की कोशिश हो। जब तक जैव सुरक्षा चिंताओं का समाधान न हो जाए, सभी जीएम फसलों के जमीनी परीक्षण पर रोक लगे और ट्रांसजेनिक फसलों के चल रहे परीक्षण बंद हों।

7. किसानों का लाभ बढ़ाने और सरकार पर सबसिडी का बोझ कम करने के लिए उर्वरक, डीजल और बिजली सबसिडी सहित सभी सबसिडी का अधिक तर्कसंगत निर्धारण (फाइन ट्यूनिंग) किया जाए।
 8. अनौपचारिक ऋण और अति ब्याज वाले ऋण पर किसानों की निर्भरता कम करने तथा बुनियादी सुविधाओं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक संस्थागत ढांचे का निर्माण हो।
 9. कृषि, पशुपालन उत्पादों और मत्स्य पालन के परिवहन, भंडारण और बुनियादी प्रसंस्करण ढांचे की उपलब्धता में सुधार हो।
 10. एक समग्र परिस्थितिकी-अनुकूल कृषि नीति बने जिसमें पशुधन, वानिकी, बागवानी और मत्स्य पालन को भी शामिल किया जाए, जो नीति परंपरागत ज्ञान प्रणालियों की रक्षा और समर्थन करे। साथ ही, परिस्थितिकी अनुकूल कृषि को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करे।
- i.** मत्स्य पालन : समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन के प्रबंधन के लिए, परंपरागत संस्थाओं को पुनः जीवित कर, नीचे से ऊपर की ओर प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाया जाए। भारतीय समुद्री क्षेत्र में छोटे पैमाने पर मछली पालन को प्राथमिकता दी जाए। मछली विक्रेताओं और प्रोसेसर के लिए ऋण की उपलब्धता में सुधार हो। भारतीय जल क्षेत्र में नीचे जाल से मछली पकड़ने के कार्य को एक समय-सीमा में चरणबद्ध रूप से समाप्त करना होगा।

पशुधन : कृषि के साथ पशुधन को फिर से जोड़ने की जरूरत है। जल निकायों, वन, पशुधन के लिए आवश्यक चरागाहों आदि का प्रबंधन जनसाधारण द्वारा ग्राम सभाओं के जरिए हो। स्थानीय नस्लों को, ऋण सुविधाओं के विस्तार से, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

विचारणीय प्रश्न

1. मनरेगा में मजदूरी के निर्धारण और कृषि श्रम बाजार पर इसके प्रभाव की बाबत क्या तंत्र होना चाहिए?

7. ईमानदार उद्योग को बढ़ावा

औद्योगिक मैन्युफैक्चरिंग (विनिर्माण) भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे उपेक्षित क्षेत्रों में एक है। रोजगार उत्पन्न करने और अर्थव्यवस्था के टिकाऊ विस्तार के लिए इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। औद्योगिक नीति निम्नलिखित आधार पर बनाए जाने की जरूरत है :

- परिस्थितिकी को ध्यान में रखकर निर्माण, विशेष रूप से छोटे पैमाने पर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन।
- ईमानदारी से व्यापार करने और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित किया जाए।
- व्यापक लेकिन लचीले श्रम सुधार के साथ-साथ, श्रमिकों के लिए काम की सुरक्षा प्रदान की जाए।

हमारी नीति

1. अर्थव्यवस्था के विनिर्माण क्षेत्र (मैन्युफैक्चरिंग) की वृद्धि पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। बड़े आकार वाले उद्योगों को विकसित करने की अनुमति हो तथा ये कानूनों द्वारा विनियमित (रेगुलेटेड) हों।
2. लघु और छोटी इकाई वाले उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। इन्हें लागत सबसिडी, रियायती ऋण, विपणन सुविधाओं आदि के मामले में समर्थन दिया जाए। लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा जो भी उत्पादन किया जा सकता है, जहां बड़े आकार के उद्योग की जरूरत नहीं है, वहां केवल उनके द्वारा ही उत्पादन हो। पारम्परिक शिल्प और निर्माण के कौशल उन्नयन और आधुनिकीकरण को समर्थन दिया जाए।
3. ईमानदारी से व्यापार करने के लिए एक कारोबारी माहौल बनाया जाए। ईमानदारी से व्यापार के आड़े आने वाली सभी कानूनी और प्रशासनिक बाधाओं को दूर किया जाए। उद्यमियों को सुविधा और प्रोत्साहन मिले। अपने खुद के फर्म शुरू करने वाले सहकारी समितियों के कार्यकर्ताओं और आम लोगों को ऋण तथा अन्य सहायता मिले। छोटे और मझोले उद्यमों के लिए आसानी से कर्ज मिले। पूंजी निवेश और रोजगार प्राप्त लोगों की संख्या को रियायतों का एक आधार बनाया जाए।
4. एक ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, आईटीआई (ऑप्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) का व्यापक ढांचा और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में अनुसंधान तथा विकास (आर एंड डी) में भारी निवेश होना चाहिए।

8. न्यायपूर्ण तथा लचीले श्रम सुधार को समर्थन

भारत की तेजी से बढ़ती श्रम शक्ति हमारे लिए, उत्पादक जनसंख्या के लिहाज से, एक लाभकारी कारक सिद्ध हो सकती है, परंतु संगठित श्रमजीवी वर्ग की तादाद घटती गई है। मजदूरों को संगठित होने की सहूलियत और प्रोत्साहन देने की जरूरत है ताकि मूलभूत श्रमिक अधिकार ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को मिल सकें। वर्तमान श्रम कानून इस तकाजे के विपरीत काम करते हैं, जबकि अधिक नरम या लचीले श्रम कानूनों की जरूरत है। मौजूदा श्रम नीतियां असल में अधिकांश मजदूरों को अनौपचारिक व असंगठित क्षेत्र में बनाए रखने में मददगार साबित हो रही हैं। यह श्रमिकों के अलावा उद्यमों के भी हित में नहीं है। लिहाजा, देश की श्रम नीतियों में क्रांतिकारी बदलाव लाने की जरूरत है ताकि मजदूरों के अधिकारों के साथ-साथ उद्योगों की क्षमता और उत्पादकता भी बढ़ाई जा सके।

भारत में केंद्रीय स्तर पर पचास तरह के तथा राज्य स्तर पर अन्य कई श्रम विधान हैं जो मजदूरों को कुछ अधिकार देते हैं, जैसे कि यूनियन बनाने, रोजगार सुरक्षा, हड्डताल करने, अनुबंधित मजदूरों के अधिकार आदि। परंतु समय के साथ ये विधान कुछ अन्य नियमों तथा मालिकों के अधिकारों द्वारा विस्थापित हो गए हैं, ऐसे अधिकारों द्वारा, जो आजकल सभी कंपनियां इस्तेमाल करती हैं - बेझिज्ञक नौकरी से निकाला, मनमर्जी से वेतन तय करना, कई तरह के कौशल के लिए एक ही आदमी रखना, मजदूरों की

संख्या में मौसमी बढ़ोतरी तथा कटौती करना। देश के विभिन्न श्रम कानूनों की बाबत यह देखा गया है कि या तो सरकारें उनका अनुपालन ही नहीं करतीं या बेमन से और बहुत ही लचर ढंग से करती हैं।

स्वराज अभियान का श्रम-एजेंडा इस प्रकार परिभाषित होगा :

- मालिकों और ठेकेदारों को औद्योगिक विकास तथा उत्पादकता बढ़ाने की तरफ प्रेरित किया जाए।
- मजदूरों को उनके मौलिक अधिकार मिलें और उनकी आजीविका सुरक्षित रहे।

हमारी नीति

1. राज्य आजीविका प्रदान करने वाला अंतिम सहारा हो तथा रोजगार-योजनाएं संपदा-सृजन एवं उत्पादकता बढ़ाने की ओर ध्यान दें।
2. मजदूरों के मूलभूत अधिकारों की रक्षा के लिए श्रम कानूनों को कड़ाई से लागू करना अति आवश्यक है। इसके लिए परस्पर-विरोधी नियमों और कानूनों को सरल बनाना होगा ताकि मतभेदों को समय पर न्यायसंगत तरीके से सुलझाया जा सके।
3. स्व-रोजगार वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत लाने की जरूरत है ताकि उन्हें साठ साल के बाद पेंशन और जीवन बीमा की सुविधा मिल सके।
4. गरीब मजदूरों के बच्चों को स्नातकोत्तर स्तर तक शिक्षा मुफ्त देने का प्रबंध हो।
5. लंबे समय से अस्थायी कर्मचारी को स्थायी कर्मचारी वाली सुविधाएं प्रदान की जाएं।
6. सभी मजदूरों (स्थायी एवं अस्थायी) को उचित वेतन और आजीविका सुरक्षा जैसे मौलिक अधिकार प्राप्त हों।
7. सभी मजदूरों को रोजगार सूची में लिखने के लिए मालिकों को आर्थिक प्रलोभन दिए जाएं तथा नियमों के खिलाफ जाने वालों को दंडित किया जाए।
8. कार्य दिवस को आठ घंटे का सुनिश्चित किया जाए और उसके पश्चात अतिरिक्त समय दो घंटे तक सीमित किया जाए जिसके लिए दुगुना पारिश्रमिक मिले। साप्ताहिक अवकाश के नियमों का पूरी तरह से पालन हो।
9. मजदूर संघों को मान्यता दी जाए। मजदूरों को संगठित होने और मजदूर संघ बनाने का अधिकार हो, साथ ही मजदूर संघों का दुरुपयोग मालिकों से मनमानी करवाने के लिए ना हो।
10. किसी उद्योग के बंद होने की स्थिति में मजदूरों को अधिकार हो कि वे संगठित होकर उद्योग को चला सकें।

9. नगर नियोजन

भारत में शहरीकरण तेजी से बढ़ रहा है। 2010 से 2050 के बीच भारत की 38 करोड़ की वर्तमान शहरी जनसंख्या में 50 करोड़ का इजाफा होने का अनुमान है। शहरीकरण का वर्तमान ढांचा बड़े शहरों पर आधारित है, जिसमें शहरी इलाके छोटे गांवों, ज़ुग्गी-झोपड़ी और अनधिकृत कालेनियों से धिरे होते हैं। सरकारी योजना और विकास कार्य सिर्फ शहरी इलाकों की तरफ ही केंद्रित रहते हैं, और आसपास के गरीब

इलाकों में मूलभूत सुविधाओं तक का अभाव रहता है। शहरीकरण समय की जरूरत है, उसे टालने की नहीं बल्कि एक नए तरीके से सोचने की जरूरत है।

- बड़े महानगरों के बजाय छोटे शहरों पर फोकस किया जाए।
- शहरीकरण की योजना में जनता की भागीदारी हो।
- शहर पर्यावरण के अनुकूल और सामाजिक समदृष्टि वाले हों।

हमारी नीति

1. छोटे शहरों को विकसित करने के लिए सर्वप्रथम वहां आजीविका के नए अवसर पैदा करने की जरूरत है ताकि लोगों को मेट्रो और बड़े शहरों की तरफ न भागना पड़े। साथ में जरूरत है योजनाबद्ध तरीके से मूलभूत सुविधाओं को सुधारने की, शहरों को रेल गलियारे से जोड़ने की तथा ज्यादातर छोटे शहरों को, जिनकी संसाधन जुटाने की क्षमता पर्याप्त नहीं है, उन्हें आर्थिक सहायता देने की।
2. शहरों के भीतर मूलभूत सुविधाओं और साधनों का सभी इलाकों तथा सभी तबकों के बीच उचित बंटवारा हो।
3. झुग्गी-झोपड़ी इलाकों का विकास या फिर पास के इलाकों में पुनर्वास हो।
4. कूड़े का बेहतर निपटारा- नई तकनीकों द्वारा कूड़े में कमी लाई जाए तथा उसका निरापद ढंग से निपटारा हो।
5. पर्यावरण के अनुकूल मूलभूत सुविधाएं- पुसाने लायक सार्वजनिक परिवहन, भवन निर्माण की पर्यावरण अनुकूल तकनीक, स्थानीय स्तर पर वर्षाजल संचयन तथा गंदे पानी के शोधन की व्यवस्था हो।
6. निर्णय प्रक्रिया में मोहल्ला सभा का अहम स्थान हो। प्रशासनिक प्रणाली को सरल बनाया जाए ताकि एक कार्य एक विभाग की ही जिम्मेदारी हो। नगर निगम के अधिकार बढ़ाए जाएं। मास्टर प्लान जैसी विशेषज्ञता और तरीकों के स्थानीयकरण और इस बारे में स्थानीय लोगों से संवाद की जरूरत है।
7. ऐसे सार्वजनिक स्थलों का निर्माण हो जहां लोग मिलजुल सकें और आपस में साझा कर सकें। सामुदायिक जन संचार के माध्यमों को प्रोत्साहित किया जाए।
8. शहरों में सीधे जनता द्वारा चुने गए तथा पर्याप्त अधिकार वाले मेयर हों। स्थानीय निकायों के लिए कर उगाही में चुनी गी की प्रथा दुबारा शुरू न की जाए।

III. मानव विकास के लिए स्वराज : बेहतर जिंदगी

स्वराज अभियान का यह मानना है कि हर नागरिक को अपनी क्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए साधन और संसाधन होना चाहिए। वे अपने स्थानीय समुदाय की समृद्धि और जीवन में बुनियादी न्यूनतम गुणवत्ता के हकदार हैं। प्रत्येक समुदाय और प्रत्येक क्षेत्र की आकांक्षाओं को पूरा करने की आवश्यकता है, लेकिन अन्य क्षेत्र के लोगों के दैनिक जीवन में बाधा पहुंचाए बिना। गांवों को आत्मनिर्भर होना चाहिए। गांवों में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, स्वच्छ पर्यावरण और अच्छी आय जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी होनी चाहिए। यदि ऐसा हो तो गांवों से शहर की ओर पलायन कम होगा।

उन्नति के वर्तमान आर्थिक मॉडल का परिणाम विकास का एक-आयामी अनुसरण हो गया है, वह भी बहुसंख्य नागरिकों की कीमत पर। परिणामस्वरूप, अंतिम व्यक्ति की निर्भरता राज्य के हस्तक्षेप और सबसिडी पर बढ़ती जाती है और उसकी शक्ति क्षीण होती जाती है। इस स्थिति को बदलने के लिए विकास को एक नई दिशा देनी होगी। समाज के अंतिम व्यक्ति की खुशहाली को पहले रखना होगा। लोगों की शक्ति को जगाना होगा। उनके समानजनक जीवन और आजीविका के लिए आवश्यक संसाधनों को बहाल करना होगा।

समाज के अंतिम व्यक्ति की खुशहाली को पहले रखने के लिए राज्य द्वारा कार्रवाई की जरूरत है, पर इसके लिए सर्व-शक्तिशाली और नौकरशाही राज्य आवश्यक नहीं है। स्वराज अभियान एक ऐसे राज्य का पक्षधर है जो कुछ मामलों में अपने अधिकार वापस ले और बाकी मामलों में हस्तक्षेप करते हुए प्रभावी ढंग से काम करे। निजी आर्थिक उद्यम पर अत्यधिक नियंत्रण और सार्वजनिक क्षेत्र की अधिक पहुंच की प्रणाली विघटित की जानी चाहिए। साथ ही, राज्य को सामान्य उपभोग की वस्तुओं के बाजार का नियमन करना चाहिए। राज्य को स्वास्थ्य और शिक्षा के सार्वभौमिक प्रावधान के माध्यम से लोगों की क्षमताओं के विकास के लिए परिस्थितियों का सृजन करना चाहिए। जीने के आजीविका के संसाधनों के प्रदाता के रूप में राज्य लोगों के लिए आखिरी विकल्प हो।

1. सबके लिए शिक्षा

स्वराज अभियान का विश्वास है कि संवैधानिक मूल्यों तथा भारत की विविध संस्कृतियों और जीवन-पद्धति पर आधारित एक शिक्षा प्रणाली विकसित करने की जरूरत है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक हर बच्चे की समान पहुंच राज्य द्वारा सुनिश्चित करने के प्रावधान के प्रति स्वराज अभियान पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

पिछले कुछ दशकों में, शिक्षा की चाहत बढ़ती रही है और साथ ही बढ़ी है शिक्षा के स्तरीकरण की मांग। इसके मद्देनजर हम समाज के सभी वर्गों के लिए, उनकी क्रय-शक्ति की परवाह किए बगैर, सही मायने में शिक्षा की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हैं।

हमारी शिक्षा नीति निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होगी :

- शिक्षा की उच्च गुणवत्ता और समान पहुंच के लिए राजकीय प्रावधान।
- स्कूली शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी।
- संदर्भ के उपयुक्त प्रासंगिक पाठ्यक्रम और शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षाशास्त्र।
- काम और पढ़ाई का मेल।

हमारी नीति

1. शिक्षा का बजट बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का कम से कम छह फीसदी किया जाए। अमीर या गरीब, हर बच्चे के समग्र विकास के लिए उच्च गुणवत्ता की शिक्षा तक उसकी पहुंच सुनिश्चित की जाए। शिक्षा की उच्च गुणवत्ता

और समान पहुँच के लिए राजकीय प्रावधान हो।

2. सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करने के लिए शिक्षकों और प्रशासकों की भर्ती और क्षमता निर्माण हो। इसके लिए शिक्षण-प्रशिक्षण की खातिर न्यायमूर्ति वर्मा आयोग की सिफारिशों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। स्पष्ट मानदंडों के आधार पर शिक्षक भर्ती, पेशेवर विकास और कैरियर में उन्नति के लिए एक पारदर्शी प्रणाली को अपनाया जाए। स्कूल प्रशासन को पेशेवर बनाया जाए और योग्यता के आधार पर चयन को प्रोत्साहित किया जाए।
3. लड़कियों, पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों, गरीब परिवारों और सामाजिक रूप से वंचित समुदायों के छात्रों के लिए विशेष प्रावधान हो, जिससे कुल नामांकन, स्कूल छोड़ने (ड्राप आउट) की समस्या का समाधान, उच्च गुणवत्ता की शिक्षा, उच्च शिक्षा की सुविधा और स्कूलों के भीतर भेदभाव-शून्यता सुनिश्चित की जा सके। बेहतर पहुँच और दाखिले का दायरा बढ़ाने के लिए छात्रावास और परिवहन की सुविधा हो।
4. संदर्भ केंद्रित पाठ्यक्रम के निर्माण और विद्यालय के प्रबंधन में स्थानीय समुदाय की भागीदारी हो। विद्यालय और शिक्षकों की जवाबदेही ग्राम सभा या मोहल्ला सभा जैसे एक स्थानीय निकाय के प्रति हो।
5. कक्षा पाँच तक की शिक्षा काफी हद तक स्थानीय संदर्भ और संसाधनों पर आधारित हो और बच्चे की मातृभाषा में दी जाए। ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए कि अकादमिक संसाधन, ज्ञान-कोष और रोजगार के अवसर अंग्रेजी के पक्ष में सिमटे न हों।
6. फोकस केवल सूचनाओं पर नहीं बल्कि सीखने और सीखने के हासिल पर हो। पढ़ाई-लिखाई के आकलन को सभी राज्यों में प्रामाणिक बनाया जाए।
7. सरकार यह सुनिश्चित करे कि शिक्षण और शिक्षा की विषय-सामग्री संविधान में निहित मूल्यों तथा सिद्धांतों के अनुरूप हो।
8. सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए सार्वजनिक नीति बने। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में, यह सुनिश्चित किया जाए कि उनकी सुविधाएं और बुनियादी ढांचे सेंट्रल स्कूल/नवोदय विद्यालय के बराबर हों। ग्रामीण सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। पीने का पानी, स्वच्छता और योग्य शिक्षकों की भर्ती जैसी बुनियादी शर्तों का पालन सुनिश्चित किए जाए।
9. व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के विस्तार और विभिन्न शैक्षिक धाराओं की स्थिति में समानता लाकर उच्च बेरोजगारी दर को नियन्त्रित किया जाए। इसके अलावा, व्यावसायिक शिक्षा को स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और व्यावसायिक डिग्रियों का तेजी से विकास किया जाए।
10. उच्च शिक्षा को एक नई दिशा देने की जरूरत है जो देश के संदर्भ में, देश की जरूरत और हमें विरासत में मिले ज्ञान के अनुकूल हो; न कि पश्चिम से प्राप्त ज्ञान की नासमझ नकल।

11. सार्वजनिक रूप से वित्त-पोषित उच्च शिक्षा, विशेष रूप से राज्यों के विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकारी आवंटन बढ़ाया जाए। मूल भुगतान करने की क्षमता वाले सिद्धांत पर आधारित छात्रवृत्ति-सह क्रृष्ण और फेलोशिप के माध्यम से आर्थिक रूप से वंचित छात्रों के नामांकन और उपस्थिति में सुधार हो। निजी संस्थाओं की फीस और शिक्षा की गुणवत्ता का प्रभावी विनियमन (रेगुलेशन) हो।

2. सार्वभौमिक स्वास्थ्य प्रावधान

भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था संकट में है। हम सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा पर सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1 फीसदी खर्च करते हैं, जबकि अफ्रीका के उप-सहारा के देश भी अपने नागरिकों के स्वास्थ्य पर इससे ज्यादा खर्च करते हैं। वर्तमान में हमारी प्रणाली लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा या होने वाली बीमारी को रोकने के बजाय रोग के इलाज पर पर ध्यान देती है। भारत के स्वास्थ्य बजट का सिर्फ 7 फीसदी रोग की रोकथाम पर खर्च होता है। लोगों ने राज्य द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं में विश्वास खो दिया है और संदिग्ध निजी स्वास्थ्य सेवा पर सामर्थ्य से अधिक खर्च करते हैं। स्वराज अभियान सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

- लोक स्वास्थ्य प्रणाली का विस्तार और उसे जवाबदेह बनाने के साथ-साथ मजबूती प्रदान करना होगा।
- बीमारी की रोकथाम, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं और उच्च मृत्यु दर वाली बीमारियों को रोकने पर अधिक ध्यान देना होगा।
- विविध चिकित्सा ज्ञान प्रणालियों और प्रथाओं की ओर ध्यान और वैकल्पिक चिकित्सा के चिकित्सकों को समर्थन देना होगा।
- दवा और स्वास्थ्य उद्योग के बीच के संबंधों को पुनः परिभाषित करते हुए जनता के कल्याण को सर्वोपरि रखना होगा।

हमारी नीति

1. सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल के प्रति हमारी प्रतिबद्धता लोगों की क्रय-शक्ति पर आश्रित नहीं है। बजटीय आवंटन में पर्याप्त वृद्धि कर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का कम से कम 3 फीसदी स्वास्थ्य सेवा पर खर्च होना चाहिए। सरकारी अस्पतालों में बड़े पैमाने पर निवेश हो और सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को जवाबदेह बनाया जाए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सभी रिक्त पदों को भरने के लिए मानव संसाधन में निवेश करना होगा। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधकों का एक कैडर बनाना होगा जो रणनीतिक रूप से कार्यक्रमों के लिए संसाधनों का प्रबंधन और स्थानीय स्तर की चुनौतियों का सामना करे।
2. सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की अपने उपयोगकर्ताओं के प्रति जवाबदेही में सुधार हो। इसके लिए निधि, कार्य और पदाधिकारियों का उपयुक्त स्थानीय सरकार के उचित स्तर पर विकेन्द्रीकरण हो। स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और स्थानीय निकायों (पानी और स्वच्छता के प्रभारी) से बेहतर सेवाओं की मांग करने के लिए और

प्रकोपों से बचाने के मद्देनजर उन्हें जवाबदेह बनाने के मकसद से सामुदायिक क्षमता का निर्माण हो।

3. निगरानी, प्रतिच्छादन (स्क्रीनिंग), शीघ्र निदान और अनुसन्धान, रोग निवारक और उपचारात्मक उपायों का एक मजबूत तंत्र बनाना होगा। स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए मानक दिशा-निर्देशों और परिचालन के सिद्धांतों का विकास करना होगा।
4. ग्रामीण और शहरी गरीबों पर विशेष ध्यान देने के साथ प्राथमिक और रोग निवारक देखभाल को प्राथमिकता देनी होगी। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के सिलसिले में टीकाकरण और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच को सुनिश्चित करना होगा। स्वास्थ्य को पोषण, पानी और सफाई सेवाओं, रसायन और उर्वरक जैसे मुद्रों के साथ जोड़ना होगा। हर घर को स्वीकार्य मानकों के साथ स्वास्थ्य सुविधाएँ स्थानीय स्तर पर मिलें यह सुनिश्चित करना होगा।
5. निजी अस्पतालों के लिए मरीजों के अधिकारों के प्राधिकार (चार्टर) को प्रदर्शित करने और पालन करने को अनिवार्य बना कर निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं की जवाबदेही में सुधार करना होगा। विभिन्न सेवाओं के शुल्कों और दरों को मांगने पर दिखाना निजी अस्पतालों के लिए अनिवार्य होगा। उचित स्तर पर मरीजों की शिकायतों के निवारण के लिए निकाय स्थापित करना होगा। चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण, देखभाल की गुणवत्ता, रोगियों के प्रति जवाबदेही और चिकित्सा देखभाल में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए नियामक व्यवस्थाएँ विकसित करना तथा लागू करना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकार से रियायतें हासिल करने वाले प्राइवेट चिकित्सा संस्थान आम आदमी के प्रति अपनी वचनबद्धता का सम्मान करें।
6. आवश्यक और जेनेरिक दवाओं की प्राथमिकता आधारित सूची तथा आसान उपलब्धता। तर्कसंगत दवा नीति को बढ़ावा मिले। अनुचित व्यापार-व्यवहार की जांच के लिए दवा उद्योग का विनियमन (रेगुलेशन) हो। टीकाकरण कार्यक्रम पर दवा कारोबारियों के प्रभाव को खत्म करना होगा।
7. जमीनी स्तर पर अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ताओं के भली-भांति प्रशिक्षित संवर्ग (कैडर) का विकास करना होगा। आशा, आंगनवाड़ियों और एनएम की तरह ग्राम स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाना होगा। भारत में प्रशिक्षित मेडिकल पेशेवरों की कमी दूर करने के लिए बुनियादी चिकित्सा प्रशिक्षण के साथ ग्रामीण स्वास्थ्य चिकित्सकों के एक नए वर्ग का निर्माण करना होगा।
8. दवाओं की विभिन्न प्रणालियों (जैसे आयुष-आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) को एक दूसरे का पूरक बनाना होगा, साथ ही स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं की जन-स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए।
9. विनियामक निरीक्षण की मौजूदा प्रणाली का कायापलट कर उसे स्वतंत्र, विषयनिष्ठ और पेशेवर बनाना होगा।

शराब और दवाओं के दुरुपयोग से निपटना

शराब और दवाओं के दुरुपयोग की समस्या को पहचानने तथा प्रभावी ढंग से निपटने के लिए :

1. शराब और अन्य नशीले पदार्थों की लत को एक राष्ट्रीय समस्या के रूप में स्वीकार करना होगा।
2. शराब की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों द्वारा दिए जा रहे विकृत प्रोत्साहन को बंद करने के लिए कानूनी और संविधानिक परिवर्तन करना होगा।
3. पंचायतों (ग्राम सभाओं के माध्यम से महिलाओं की विशेष शक्ति के साथ) और नगरपालिकाओं के रूप में स्थानीय सरकारी निकायों को यह तय करने का अधिकार दिया जाए कि पंचायत या नगरपालिका क्षेत्र के भीतर शराब की बिक्री की अनुमति मिले या वह सीमित हो या उस पर प्रतिबंध लगे।
4. शराब की कोई नई दुकान उस समुदाय के पचास फीसदी से ज्यादा महिला मतदाताओं के अनुमोदन के बाद ही खुले।
5. नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।
6. शराब और नशीली दवाओं की लत के शिकार लोगों की मदद के लिए नशा मुक्ति केंद्रों का निर्माण हो।
7. पंजाब और पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ शराब और मादक पदार्थों की बाबत एक राष्ट्रीय नीति बनानी होगी।

IV. महिलाओं के लिए स्वराज : 'शक्ति' के हाथों में शक्ति

भारतीय संविधान में निहित समानता और भेदभाव न किए जाने के अधिकार के औपचारिक आशासन के बावजूद, भारत में महिलाओं को दूसरी श्रेणी के नागरिक के रूप में देखा जाता है। लड़कियों और महिलाओं के लिए सुरक्षा और न्याय के मसले पर, अधिकांश मामलों में आरोपियों के बच जाने और आपराधिक न्याय प्रणाली तथा राज्य की पूर्ण अक्षमता के चलते-फौरन ध्यान देने की जरूरत है। शिक्षा, धर्म, जाति, वर्ग, जातिवाद, ग्रामीण और शहरी जीवन शैली और रोजगार या आय के स्तर में भेद और विभाजन के चलते यह जरूरत और भी बढ़ जाती है। इसके लिए आवश्यक हैं सावधानी से तैयार की गई नीतियां और सकारात्मक कार्रवाई। साथ ही, सभी स्तरों पर पितृसत्तात्मक मानसिकता और व्यवहार को बदलने के लिए सतत प्रयास करने की जरूरत है।

हम एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जिसमें महिलाओं को सहज गरिमा के साथ स्वीकृत किया जाए और उनके साथ समान नागरिक के रूप में व्यवहार किया जाए, जहाँ वे पुरुषप्रधान मूल्यों, जो उनकी सामाजिक और पारिवारिक भूमिकाओं का निर्धारण

करते हैं, से संचालित न हों। समूचे नीतिगत ढांचे के केंद्र में ‘आम औरत’ को रखने की जरूरत है। इसके लिए निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित नीति बनाई जाए :

- सभी महिलाएं, पुरुष और भिन्नलिंगी या यौन भिन्नता वाले लोग कानून की नजर में जन्म से ही बराबर हैं और बराबर बने रहेंगे।
- सभी को एकसमान स्वतंत्रता, अधिकार, गरिमा, सम्मान, सुरक्षा और उनकी सामर्थ्य पूर्ति के अवसर हों।
- किसी अन्य पहचान, भूमिका या उम्मीद से परे, महिला की मान्यता, सम्मान एवं मानवीय पहचान और बराबर अधिकार की प्रधानता एक व्यक्ति के रूप में हो।
- राज्य महिलाओं के कानूनी, संवैधानिक और मानव अधिकारों को हर हाल में बनाए रखे, जहां भी उसका उल्लंघन हो या उसे चुनौती दी जाए।
- राज्य और महिला नागरिकों के बीच सभी परस्पर व्यवहार संवेदनशील तथा समावेशी होने चाहिए।

हमारी नीति

1. कन्या भ्रूण हत्या और शिशु हत्या पर रोक लगे। प्रसव के दौरान होने वाली मातृ मृत्यु का उन्मूलन और नवजात तथा शिशु मृत्यु दर में अधिकतम कमी हो।
2. लड़कियों, खासकर सामाजिक रूप से वंचित समूहों की लड़कियों की शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान के साथ शिक्षा का अधिकार लागू हो। लिंग संवेदी पाठ्यक्रम, पूरी शिक्षा व्यवस्था में लैंगिक भेदभाव की जांच के लिए तंत्र और लड़कियों के लिए आवासीय सुविधाओं का अधिक से अधिक प्रावधान हो।
3. महिलाओं के लिए सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधा हो। माताओं की प्रसव-पूर्व और प्रसव के बाद देखभाल हो जिसमें सफाई, समग्र एवं पर्याप्त पोषण और अतिरिक्त (पीडीएस) खाद्य आपूर्ति का प्रावधान भी शामिल हो। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी महिलाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता हो।
4. महिलाओं के लिए विश्वसनीय और प्रभावी बुनियादी सामाजिक सेवाएं और सुरक्षा देने के लिए एक व्यापक योजना की शुरुआत हो। एकदम हाशिए की और कमजोर महिलाओं (बुजुर्ग, विकलांग, विधवाओं, अनाथ लड़कियों, किसी प्रमुख शारीरिक या मानसिक बीमारी से ग्रसित महिलाओं सहित) पर ज्यादा ध्यान दिया जाए।
5. ‘परिवार कानूनों’ में समानता हो जो सभी धर्मों की शादी, संपत्ति और तलाक के संबंध में पर्याप्त हो। हिंसा-रहित जीवन जीने का अधिकार हो। सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा और घरेलू हिंसा से संबंधित कानूनों पर कड़ाई से अमल हो।
6. औपचारिक और अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं के लिए समान मजदूरी और उचित व्यवहार को बढ़ावा दिया जाए तथा उसे अनिवार्य बनाया जाए।
7. सभी मौजूदा संवैधानिक निकायों— जैसे महिलाओं तथा बच्चों के लिए आयोग,

मानवाधिकार आयोग, अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति आयोग- को मजबूत, स्वतंत्र, स्वायत्त और पर्याप्त संसाधनों के लिए आत्मनिर्भर बनाया जाए, जिसमें महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो।

8. पुलिस, सशस्त्र बलों, प्रशासन और न्यायपालिका सहित सभी निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में सक्रिय लिंग संवेदीकरण कार्यक्रम हो। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 में शामिल प्रावधानों के आधार पर यौन उत्पीड़न विरोधी समितियों का गठन हो।
9. स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और मानव विकास के अन्य उपायों के लिए शासन के प्रत्येक स्तर पर स्त्री-पुरुष समता की दृष्टि से रिपोर्टिंग, बजट और लेखा (अकाउंटिंग) को बढ़ावा मिले।
10. कई गरीब ग्रामीण या शहरी महिलाएं अपने जीवन साथी या गैर-पति पुरुष से एचआईवी / एडस से ग्रस्त होने की 'उच्च जोखिम' वाली श्रेणी में हैं। इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए नेटवर्क, दवाएं, रोजगार के अवसर न मिलने तथा जागरूकता की कमी जैसे इस बीमारी के गंभीर पहलुओं के मददेनजर पीड़ित महिलाओं और उनके बच्चों के लिए एक लक्षित (टारगेटेड) कार्यक्रम होना चाहिए।

स्वराज अभियान के भीतर महिला सशक्तीकरण

1. राजनीतिक भागीदारी और समानता का अधिकार : स्वराज अभियान महिलाओं के लिए राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर 33% से 50% भागीदारी सुनिश्चित करेगा। यह भी सुनिश्चित करेगा कि राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर सभी समितियों में महिलाओं का बराबर एवं पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो।
2. स्वराज अभियान सबसे उपयुक्त उपाय से संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के मकसद से कानून का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध है।
3. पार्टी की यह स्पष्ट आंतरिक समझ है कि किसी भी रूप में लैंगिक भेदभाव तथा उत्पीड़न का मतलब होगा दोषी सदस्य के खिलाफ त्वरित और सार्वजनिक अनुशासनात्मक कार्रवाई।
4. स्वराज अभियान के भीतर लैंगिक लेखा परीक्षण (जेंडर ऑडिट) के लिए एक प्रभावी और नियमित प्रणाली होगी।
5. कर्मियों और संस्थानों के सभी स्तरों पर लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किया जाएगा।
6. संगठन के सभी स्तरों पर और विभिन्न क्षेत्रों में कामकाज स्थलों पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों की सुनवाई के लिए समितियों का गठन होगा।

V. सामाजिक हाशिए के लोगों के लिए स्वराज़ : सद्भाव के लिए न्याय

भारतीय संविधान सभी भारतीयों में सद्भाव और भाईचारा की कल्पना करता है। यह सभी को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय तथा सामाजिक स्थिति और अवसरों में समानता सुनिश्चित करता है। इस प्रकार संविधान सामाजिक विभेद मिटाने और राष्ट्रीय एकता के लिए बुनियादी ढांचे की नींव रखता है।

- जाति, लिंग, धर्म या जन्म पर आधारित किसी भी अन्य भेदभाव का सख्त निषेध।
- ऐतिहासिक दृष्टि से वंचित सामाजिक समुदायों की अभिस्वीकृति एवं नामकरण।
- वंचित सामाजिक समूहों के लिए विशेष अवसर।
- सामाजिक विविधता को स्वीकृति एवं बढ़ावा।

हालांकि व्यवहार में, सामाजिक न्याय की नीति संवैधानिक वादे पर खरा उतरने में नाकाम रही है। वंचित समुदायों के लिए राज्य की नीतियां एक-दो, ज्यादा दिखने वाले प्रतीकात्मक उपायों में सिमट कर रह गई हैं, जो उन समुदायों की मदद के लिए काफी नहीं हैं और समाज के बाकी हिस्सों में असंतोष पैदा करती हैं। इनमें से बहुत से समुदायों में लाभार्थियों के एक छोटे से वर्ग का विकास हो गया है, जो अपने निहित स्वार्थ के चलते वर्तमान स्थिति को बनाए रखना चाहता है। इन समुदायों को कमजोर रखने और राज्य की कृपा पर निर्भर बनाए रखने में राजनीतिक दलों का भी निहित स्वार्थ है।

स्वराज अभियान संविधान की आत्मा को पुनः स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक न्याय की एक प्रणाली गठित की जाए जो इन समुदायों की मूल चिंताओं को प्रभावी ढंग से निपटा सके। पारदर्शी तथा प्रामाणिक तरीके से वंचितों की पहचान हो। लाभार्थी समुदायों की परिभ्रषा और सीमाओं की समीक्षा हो। शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाए। सामाजिक न्याय की नीति को लागू करने के लिए नया और कुशल तंत्र हो। प्रत्येक सामाजिक समूह या असमानता के मद्देनजर विशिष्ट उपाय होगा, लेकिन कुछ सामान्य उपायों में निम्नलिखित कदम शामिल किए जा सकते हैं।

- वंचित समुदायों की निष्पक्ष पहचान के लिए समान अवसर आयोग की स्थापना हो। राज्य की नीतियों की सामाजिक लेखापरीक्षा (सोशल ऑडिट) और सकारात्मक कार्बवाई (अफर्मेंटिव) के लिए एक नई प्रणाली की स्थापना हो।
- सामाजिक न्याय की नीतियों में वर्गीकृत असमानता (गैर-पिछड़े बनाम पिछड़े के बजाय कम और अधिक पिछड़े) और अनेक वर्गीय असमानता (लिंग, वर्ग, जाति आधारित) को रेखांकित किया जाए। जो कई तरह की वंचना के शिकार हैं (मसलन गरीब दलित लड़की), उनके लिए विशेष प्रावधान हो।
- सामाजिक न्याय की नीतियों के दायरे का उच्च शिक्षा और सफेदपोश नौकरियों से परे विस्तार किया जाए। इस दायरे में आजीविका के अवसर, बैंक-ऋण और बाजार के उपयोग, बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और आवास को भी शामिल किया जाए।

1. जाति आधारित असमानता की समाप्ति

भारतीय संविधान में निहित न्यायसंगत, लोकतांत्रिक और एकजुट भारत के लक्ष्य के सामने जाति व्यवस्था और इसकी असमानताएँ एक बड़ी चुनौती हैं। स्वराज अभियान जाति आधारित असमानता, भेदभाव और जातिगत राजनीति का निराकरण करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए आवश्यक होगा :

- जातिगत दुष्परिणामों को खत्म करने के लिए जाति की पहचान, स्वीकृति और प्रतिरोध।
- ऐतिहासिक रूप से वंचित जातियों के लिए विशेष अवसर।
- विशेष अवसर या आरक्षण के मौजूदा तंत्र का विस्तार एवं अधिक तालमेल।

हमारी नीति

1. एक जटिल सामाजिक व्यवस्था को समाप्त करने के लिए इसके अस्तित्व को स्वीकार करने और इसके प्रभाव को दर्ज करने की आवश्यकता है। विभिन्न जातियों की संख्या और उनकी शैक्षिक एवं आर्थिक स्थिति पर व्यवस्थित जानकारी इकट्ठा करने की आवश्यकता है।
2. शादी, उद्यम, आवास और अन्य ऐसी संरचनाओं के माध्यम से अंतरजातीय मेलजोल और सहयोग को प्रोत्साहित करना होगा। वंचित जातियों की महिलाओं पर विशेष ध्यान देना होगा। इन समुदायों के लिए पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों के लिए स्कूलों में विशेष प्रावधान होना चाहिए।
3. आर्थिक नीतियों में परंपरागत व्यवसायों से जाति को अलग रखा जाए। सभी के लिए आजीविका के अवसर को बढ़ावा दिया जाए, विशेष रूप से वंचित समुदायों को। व्यावसायिक शिक्षा, उद्यमियों के लिए ऋण और भूमि सुधार द्वारा भूमिहीन समुदायों के लिए भूमि के अधिकार या पट्टे की व्यवस्था हो।
4. सरकारी नौकरियों और सार्वजनिक शिक्षा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आक्षण की मौजूदा प्रणाली को बनाए रखा जाए और इसके दायरे का विस्तार किया जाए। सकारात्मक कार्रवाई (अफर्मेंटिव एक्शन) के प्रावधान का निजी क्षेत्र, आवास और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में विस्तार किया जाए। धीर-धीर, एक ऐसी प्रणाली की ओर कदम बढ़ाया जाए जो जातिगत असमानताओं के साथ-साथ अन्य असमानताओं जैसे वर्ग, लिंग और शहरी-ग्रामीण-विभाजन का भी ध्यान रखे। आरक्षण के अलावा भी सकारात्मक कार्रवाई (अफर्मेंटिव एक्शन) के एक तंत्र की आवश्यकता है।
5. जाति आधारित अपमान, अत्याचार और हिंसा को समाप्त करने के लिए कानूनों का प्रभावी कार्यान्वयन हो।
6. प्रमुख विकास संकेतकों में ऐतिहासिक विसंगतियों को दूर करने के लिए सीएससीपी और टीएसपी का प्रभावी कार्यान्वयन हो।

आरक्षण में सुधार

1. अत्यंत वंचित अनुसूचित जाति, सबसे कमजोर अनुसूचित जनजाति और सबसे पिछड़े ओबीपी जैसे उप समूहों को न्यूनतम निश्चित लाभ प्रदान करने के लिए इन्हें कानूनी मान्यता दी जाए।
2. मुसलमानों और ईसाइयों के भीतर दलित समुदायों को अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी जाए।
3. वंचितों के लिए एक बहुआयामी सूचकांक विकसित किया जाए जिसमें जाति के साथ-साथ लिंग, ग्रामीण/शहरी स्थान तथा परिवार की आर्थिक और शैक्षिक पृष्ठभूमि को भी ध्यान में रखा जाए। इस तरह के सूचकांक से प्रत्येक छात्र या उमीदवार के अभाव-अंक की गणना कर वेटेज निर्धारित किया जा सकता है।
4. आरक्षण का लाभ उठा चुके माता-पिता के बच्चों को उनकी आरक्षित श्रेणी की कतार के अंत में रखा जाए। यदि एक परिवार का सदस्य आरक्षण का लाभ ले चुका है तो उसके बच्चों को उस स्तर या उससे कम की नौकरी में आरक्षण का लाभ न मिले और दो पीढ़ियों के बाद, उस परिवार विशेष के लिए आरक्षण न हो।

2. अन्य वंचित समूह

वंचना और भेदभाव सिर्फ जाति और लिंग के आधार तक सीमित नहीं हैं। आर्थिक असमानता भी हमारे समाज में वंचना की बड़ी वजह बनी हुई है और हमारी आर्थिक नीति को इस पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अलावा, जन्म के संयोग पर आधारित कुछ अन्य सामाजिक समूह हैं जिन्हें व्यवस्थित अभाव का सामना करना पड़ता है। इस नुकसान को दूर करने के लिए कोई कारगर प्रयास ऐसी असमानता की मौजूदगी को स्वीकार करने से ही शुरू होगा। यह असमानता प्रणालीगत है। इस नुकसान को दूर करने के लिए एक लक्षित (टारगेटेड) दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो प्रत्येक सामाजिक समूह की विशिष्टता को ध्यान में रखे।

अभाव के स्रोत और प्रकृति अलग-अलग समूह के लिए भिन्न हो सकते हैं लेकिन इसके परिणाम काफी समान हैं— कम साक्षरता, उच्च शिक्षा में कम भागीदारी, खराब स्वास्थ्य संकेतक, आकर्षक आर्थिक अवसरों से दरकिनार, दोषारोपण और अपमान के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार और राजनीतिक प्रक्रियाओं में कम प्रतिनिधित्व। इस तरह के सामाजिक समूहों में चार यहां विशेष उल्लेखनीय हैं: विकलांग, गैर-अधिसूचित और खानाबदोश जनजातियाँ, आदिवासी और मुसलमान।

विकलांग व्यक्ति

विकलांग व्यक्तियों के सामाजिक समूह का अभाव सामान्य बुद्धि को भी स्पष्ट है लेकिन सरकारी नीति के लिए अदृश्य। अब तक इनकी स्थिति में सुधार करने के लिए शुरुआती कदम भी नहीं उठाया गया है। उपेक्षा के इस सिलसिले का अंत करने के लिए निम्न

उपाय किए जाने की जरूरत है:

1. विकलांगता की मौजूदा सरकारी परिभाषा में मानसिक विकलांगता को शामिल करते हुए इसका विस्तार किया जाए। विकलांगों की संख्या और स्थिति पर नियमित रूप से डाटा संग्रह की एक प्रणाली बनाई जाए।
2. इमारतों, परिवहन और संचार सहित सभी सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को विकलांगों के मददेनजर 'बाधा-मुक्त' किया जाए।
3. शिक्षा और रोजगार के अवसरों में विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान हो। मौजूदा आरक्षण के कारण कार्यान्वयन की व्यवस्था हो।
4. ऐसी नीतियों और उपायों पर ध्यान दिया जाए जिससे विकलांगता (जैसे पोलियो, अंधापन और कुछ मामलों में मानसिक विकलांगता) को रोका जा सके। स्वास्थ्य-देखभाल में मदद के लिए सरकारी प्रावधान हो। विकलांगता के विभिन्न रूपों के मददेनजर आवश्यक विशिष्ट उपकरणों के लिए सबसियरी मिले।
5. विकलांगों के संबंध में कोई भी निर्णयकारी निकाय में विकलांगों का बहुमत होना चाहिए।

खानाबदेश और गैर-अधिसूचित समुदाय

भारत में खानाबदेश, गैर-अधिसूचित समुदाय और जनजातियाँ सबसे कमज़ोर, लांघित और अदृश्य समुदायों में आते हैं। इनके लिए निम्नलिखित नीतिगत उपाय किए जाने की जरूरत है :

1. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बराबर ही इस श्रेणी के लिए संवैधानिक मान्यता मिले। गैर-अधिसूचित समुदाय की स्थिति की सटीक गणना और सर्वेक्षण हो। इनके लिए एक स्थायी वैधानिक आयोग बने, अत्याचार निवारण अधिनियम का विस्तार कर उसके दायरे में अधिसूचित समुदाय को भी लाया जाए।
2. शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित की जाए, जिसमें चलनशील विद्यालय और औषधालय शामिल किए जाएं।
3. आधुनिक आजीविका और रोजगार के लिए प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन, ऋण सुविधाओं की आसान उपलब्धता और बाजार तक पहुंच के लिए सहायता मिले।
4. गैर-अधिसूचित समुदाय की अर्द्ध स्थायी या स्थायी बस्तियों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए ढांचागत समर्थन हो।

आदिवासी मुद्रे

संवैधानिक मान्यता और नीतियों के बावजूद, अधिकांश आदिवासी समुदाय राज्य-प्रायोजित के विकास, शिक्षा और संगठित क्षेत्र की नौकरियों से बाहर हैं। राजनीतिक क्षेत्र में काफी हद तक इनकी कोई आवाज नहीं है। इनके लिए निम्नलिखित नीतिगत उपाय किए जाने की जरूरत है :

1. पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम (पेसा) और वन अधिकार अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए। यह सुनिश्चित हो कि ग्राम सभा की

अनुमति के बिना भूमि अधिग्रहण या वन क्षेत्रों से खनिज या वन संपदा की निकासी न हो। सभी प्राकृतिक संसाधनों के टिकाऊ प्रबंधन, उपयोग और रक्षा के अधिकार पूरी तरह से ग्राम सभा के पास हों।

2. कोयला, लौह अयस्क और बॉक्साइट जैसे खनिज संसाधनों के लिए, जो कि अधिकांश आदिवासी क्षेत्रों में स्थित हैं, एक व्यापक रणनीतिक योजना हो और निकासी का लाभ स्थानीय समुदायों के साथ साझा हो।
3. शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता सुनिश्चित की जाए। विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह के स्वास्थ्य और पोषण संकेतकों में सुधार करने के लिए विशेष प्रावधान हो।
4. अनुसूचित क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए विशेष प्रावधान हो।
5. आधुनिक आजीविका और रोजगार, ऋण सुविधाओं की विशेष उपलब्धता और बाजार तक पहुँच में मदद के लिए प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन की व्यवस्था हो। आरक्षण का प्रभावी कार्यान्वयन हो।
6. 'ऐसा' के तहत परिकल्पित ग्राम सभाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रशासनिक सुधार आरंभ किए जाएं।
7. इन समुदायों के लिए अधिक से अधिक सांस्कृतिक और आर्थिक स्वायत्ता (जैसे आदिवासी भाषाओं में पढ़ाई, सामुदायिक रेडियो और जनसंचार) दी जाए।
8. अनुसूचित जनजातियों की पहचान करने की विधि के बारे में पूरी तरह से पुनर्विचार की जरूरत है। सकारात्मक कार्रवाई (अफर्मेटिव एक्शन) द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि यह कुछ परिवारों या समुदायों के हाथों में सिमटकर न रह जाए। अनुसूचित जाति या जनजाति के नाम के अनुप्रयोग में एकरूपता हो।

वंचित धार्मिक अल्पसंख्यक और उनके मुद्दे

भारत में कई धर्म हैं, जिनके कई घटक पिछले बीस वर्षों से भारत के विकास पथ का लाभ लेने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। इनमें मुसलमान, दलित ईसाई और बौद्ध हैं। स्वराज अभियान का मानना है कि इन समुदायों की मदद करने के लिए सकारात्मक कार्य (अफर्मेटिव एक्शन) करना चाहिए, जिससे इन्हें समान अवसर मिले और अपनी असली क्षमता की खोज करने में वे सक्षम हो सकें। मुस्लिम भारत के सिर्फ सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक नहीं हैं, बल्कि शैक्षिक स्थिति, आर्थिक हालत, सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में हिस्सेदारी के संदर्भ में भी वे भेदभाव के शिकार और वंचित अल्पसंख्यक हैं। इसलिए, उनके नुकसान निवारण के लिए एक व्यापक नीति की जरूरत है। सांप्रदायिक हिंसा से सुरक्षा के प्रावधान और अस्मिता से जुड़े प्रतीकात्मक मुद्दों से आगे जाकर उनकी स्थिति पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है :

1. बाकी समुदायों के समकक्ष लाने के लिए मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बेहतर बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक तथा वाणिज्यिक सेवाओं के प्रावधान हों।

2. दलित मुसलमानों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए। पिछड़ी मुस्लिम बिरादरी, जो मुसलमानों का भारी बहुमत है, को ओबीसी की सूची के भीतर शामिल किया जाए।
3. स्कूली दाखिले और उच्च शिक्षा के छात्र सहायता कार्यक्रमों में मुस्लिम छात्रों के प्रति भेदभाव न हो यह सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान हो। मदरसा बोर्डों द्वारा प्रदत्त डिग्रियां कॉलेज और विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए मान्य हों। उनके धार्मिक शिक्षण के साथ-साथ विज्ञान पढ़ाने के लिए मदरसों को प्रोत्साहित किया जाए।
4. रोजगार और आजीविका के अवसर : ऐसे व्यवसायों या उद्योगों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन हो जिसमें ज्यादातर मुसलमान लगे हुए हैं। लघु उद्यमों के कौशल उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता मिले। ऋण सुविधाओं तक बेहतर पहुंच हो। बैंकों की तरफ से होने वाले भेदभाव के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
5. स्वराज अभियान स्थानीय नागरिक समाज संगठनों के गठन को प्रोत्साहित करेगा जो विद्वेष निवारक और उपचारात्मक एकता परिषदों की भूमिका निभाएंगे।
6. मिश्रित पड़ोस को, विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में, प्रोत्साहित किया जाए और इसके लिए काम हो। फ्लैटों के विक्रय/किरण में सामान्य अल्पसंख्यकों विशेष रूप से मुसलमानों के साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए एक तंत्र विकसित किया जाए।
7. वक्फ संपत्तियों के नियंत्रण और प्रबंधन को नौकरशाही से मुक्त कर समुदाय-लाभ की ओर उन्मुख किया जाए।

VI. वैचारिक स्वराज : लोक ज्ञान और नवोन्मेष

‘वैचारिक स्वराज’ स्वराज की राजनीति का आधार है। विचार, रचनात्मकता और संस्कृति के सन्दर्भ में स्वराज का अर्थ है आम आदमी को विचार-स्रोत, ज्ञान-भंडार और नवाचार के एक स्रोत के रूप में सम्मान। सत्य के एकाधिकार का दावा करने वाली इस दुनिया में विशेषज्ञ-ज्ञान और राजनीतिक विचारधाराओं का बोलबाला है। लेकिन स्वराज हर संभव नीति की बाबत व्यावहारिक, दीर्घकालिक और टिकाऊ विकल्प का चयन करने में आम आदमी के ज्ञान और बुद्धि पर भरोसा करता है। इस संदर्भ में, ‘वैचारिक स्वराज’ वास्तव में किसी व्यक्ति, क्षेत्र या राष्ट्र की सीमा से बाहर ज्ञान की मौजूदीया विशेषज्ञता होने से इनकार नहीं करता। यह केवल प्रासंगिक ज्ञान के आधार पर आम आदमी के हितों के अनुरूप निर्णय लेने पर जोर देता है। ज्ञान के आधार को लोगों की ओर उन्मुख करने के कई परिणाम होंगे :

- किसी भी गतिविधि या पहल के केंद्रीकरण को स्थानीय इकाइयों की रचना, उनकी बहाली और उन्हें प्रोत्साहन के जरिए बदला जाए। यह वास्तविक प्रतिनिधित्व और स्थानीय के महत्व के प्रति सम्मान को बढ़ावा देने के इरादे से हो।
- राज्य और उसके संस्थानों पर निर्भर बनाने के बजाय, लोगों को स्वतंत्र और मजबूत बनाने के लिए नीतियां बनें।

- स्थानीय ज्ञान और भाषा के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए।
- हमारी विरासत एवं संस्कृति के विकास, विपणन, उसे आर्थिक मदद और उनके प्रति सम्मान की भावना को प्रोत्साहित किया जाए।
- पर्यटन के बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए कारीगरों, शिल्पकारों और अन्य परंपरागत आजीविका के लोगों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ रचनात्मक प्रयास महत्वपूर्ण हैं।

1. भाषा में स्वराज

भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सपना था कि स्वतंत्र भारत में अपने बहुभाषी चरित्र के उपयुक्त एक भाषा नीति होगी। आजादी के बाद भारत में राज्य नीति इस दृष्टिकोण पर खरी नहीं उतरी। अंग्रेजी वास्तविक आधिकारिक भाषा बन गई है। यह शक्ति, विशेषाधिकार और अवसरों की भाषा बन गई है। अन्य 'सरकारी' भाषाओं ने बोलियों और अन्य छोटी भाषाओं को बाहर धकेल दिया है। बहु-भाषाई उत्सव की जगह एक वैश्विक भाषा, एक राष्ट्रीय भाषा या मातृभाषा की एकल भाषा ने ले ली है। भाषा नीति को निम्नलिखित आधार पर परिभाषित करने की जरूरत है :

- भारतीय समाज के बहुभाषी चरित्र को बहाल करने और बढ़ावा देने के लिए राज्य नीति बने।
- सभी भाषाओं की स्थिति और पहुँच को बराबर कराया जाए।
- शिक्षा के जिए बच्चों को उनके घर की भाषा के आधार पर अलग-अलग भाषाओं में प्रवीणता के उच्च स्तर को प्राप्त करना चाहिए।

हमारी नीति

1. **विद्यालय की भाषा :** प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा का प्रयोग हो। अंग्रेजी और राज्य आधिकारिक भाषाओं के अतिरिक्त दूसरी, तीसरी या चौथी भाषा का क्रमिक परिचय पहली भाषा के आधार पर किया जाए।

2. **उच्च शिक्षा की भाषा:** अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में शिक्षण और अनुसंधान की क्षमता और संसाधनों को मजबूत बनाया जाए।

3. **राजभाषा:** सार्वजनिक सेवाओं में किसी भी रूप में अपवर्जनात्मक एकल भाषा की नीति या व्यवहार, जैसे किसी भी एक भाषा (अंग्रेजी, हिंदी या कोई अन्य) के अनिवार्य प्रयोग को अस्वीकार किया जाए। नीति दस्तावेज, शिकायत निवारण और न्याय प्रणाली लोगों की अपनी भाषाओं में उपलब्ध कराई जाए।

4. **छोटी और लुम्प्राय भाषाएं :** भारत की सभी गैर-अनुसूचित भाषाओं, विशेष रूप से जनजातीय और अल्पसंख्यक भाषाओं के लिए एक भाषा अनुरक्षण कार्य योजना विकसित की जाए। पुनरुद्धार के लिए समुदाय आधारित प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाए।

5. सभी जनजातीय और अल्पसंख्यक भाषाओं सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं में छिपे ज्ञान संसाधनों के प्रलेखन और मिलान के लिए राज्य मदद करें।

विचारणीय प्रश्न

1. कैसे अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में दक्ष लोगों के लिए (विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के बाहर) रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए जाएं?
2. ज्ञान, विज्ञान, प्रौद्योगिकी विकल्प और नवोन्मेष में स्वराज स्वराज के सिद्धांत का ताल्लुक वैज्ञानिक ज्ञान, प्रौद्योगिकी विकल्पों और नवाचार को बढ़ावा देने के उपायों से भी जरूर होना चाहिए। इसका मतलब आधुनिक विज्ञान और तकनीक की ओर से मुंह मोड़ना नहीं बल्कि यह समझना है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मूल्य निरपेक्ष नहीं हैं। इनके लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को समाज द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) में स्वराज निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होगा:
 - विभिन्न नीति क्षेत्रों की प्राथमिकता लोगों के लिए उसके मूल्य के अनुसार तय की जाए।
 - समुदायों द्वारा उत्पन्न ज्ञान की मान्यता और इसे बढ़ावा देने के लिए संस्थानों का निर्माण हो।
 - प्रौद्योगिकी विकल्पों का चयन जन-भागीदारी और पर्यावरण को ध्यान में रखकर किया जाए।

हमारी नीति

1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में शिक्षा तथा अनुसंधान में उत्कृष्टता को बढ़ावा मिले। उत्कृष्टता को वैश्विक अत्याधुनिक मापदंड पर परखने के बजाय अपने संदर्भ में उसकी प्रासंगिकता और आम आदमी की जरूरतों के मुताबिक तय किया जाए।
2. जमीनी स्तर पर नवाचार और 'जुगाड़' के जज्बे को प्रोत्साहन और सहायता देने के लिए सक्रिय नीति हो। ग्रामीण कॉलेजों और विश्वविद्यालयों, पॉलिटेक्निक और क्षेत्रीय इंजीनियरिंग संस्थानों को कुटीर और छोटे स्तर के प्रसंस्करण क्षेत्रों के साथ जोड़ा जाए।
3. सभी नागरिकों के लिए, उनकी क्रय-शक्ति की परवाह किए बिना, दुनिया भर की डिजिटल ज्ञान प्रणालियों की सार्वभौमिक पहुंच भारत की सभी भाषाओं में उपलब्ध कराई जाए। सभी भारतीय भाषाओं में भारतीय ज्ञान को प्रिंट और डिजिटल मीडिया में लाने के लिए सक्रिय सहयोग हो।
4. प्रौद्योगिकी विकल्प लोगों की जरूरतों, मौजूदा प्राथमिकताओं, रोजगार पैदा करने की क्षमता और पारिस्थितिक स्थिरता के आधार पर निर्धारित हो। यह लोगों के लिए हो, न कि सिर्फ लाभ को अधिकतम करने के लिए।
5. लोक ज्ञान को मान्यता प्रदान करने तथा उपयोगी ज्ञान के साझाकरण को खुला और सक्रिय रखने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार पर व्यापक बहस हो।
6. केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों में नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसंधान तथा विकास सुविधाओं को बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। कृषि और

बागवानी जैसे विषयों के लिए देश भर में विशेष विश्वविद्यालयों की स्थापना हो।

3. मीडिया नीति में स्वराज

मीडिया उद्योग का विकास, विशेष रूप से उदारीकरण के बाद, पिछले दो दशक में काफी प्रभावशाली रहा है। लेकिन अधिकतम मुनाफे पर ध्यान और विश्वसनीय विनियमन (रेगुलेशन) की कमी के कारण ‘पेड न्यूज’ और बड़े मीडिया के एकाधिकार जैसे गंभीर असंतुलन पैदा हो गए हैं। हम एक जीवंत और स्वतंत्र मीडिया की जरूरत को समझते हैं, साथ ही सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के मीडिया-संवाद से बाहर छूट जाने को लेकर चिंतित हैं। इसका मुख्य कारण मीडिया में सार्वजनिक जवाबदेही की कमी और विज्ञापन पर भारी निर्भरता है। मीडिया उद्योग, दैनिक जीवन पर भी अपने गहरे प्रभाव के बावजूद, खुद अपने बारे में सच बताने के किन्हीं वैधानिक नियमों के अधीन नहीं है। आज आम जन तक पहुंच वाले मीडिया के नियमन (रेगुलेशन) की काफी जरूरत है। क्योंकि यह हमारी जीवन शैली पर ही नहीं बल्कि हमारे व्यवहार, विचार, विचारधारा और मूल्यों पर भी स्थायी प्रभाव डालता है। मीडिया ही हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारी समझ और परिभाषाओं को आकार देता है। जो मीडिया को नियंत्रित करते हैं, प्रभावी रूप से हमें नियंत्रित करते हैं।

भारतीय मीडिया स्वतंत्रता, कारोबारी कुशलता और जीवंतता से लैस है, जो कि लोकतंत्र में आवश्यक है, इसी के साथ-साथ मीडिया को कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों का पालन करने की जरूरत है :

- बिना किसी जोर-जबरदस्ती के सार्वजनिक जवाबदेही।
- हितों के टकराव की घोषणा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे नैतिक मानकों का पालन।
- वंचितों और उनकी चिंताओं को आवाज देना, न कि सिर्फ विज्ञापनदाताओं और उपभोक्ताओं का ख्याल रखना।

हमारी नीति

1. मीडिया उद्योग के वैधानिक विनियमन (रेगुलेशन) के लिए सरकार और कॉरपोरेट मीडिया, दोनों से स्वतंत्र, एक संवैधानिक प्राधिकरण का निर्माण हो। इसके अधिकार क्षेत्र में सभी मीडिया, जैसे प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा और इंटरनेट रहें। यह प्राधिकरण सुनिश्चित करे कि मीडिया के काम में राज्य या राजनीतिक शक्तियों का दखल न हो।
2. ‘पेड न्यूज’ और ‘निजी करारों’ पर अंकुश, जिसके चलते कोई मीडिया संस्थान किसी पक्ष को खूब बढ़ा-चढ़ाकर प्रशंसात्मक कवरेज देता है, जिसका कोई तुक नहीं होता।
3. मीडिया स्वामित्व में विनियमन (रेगुलेशन) के जरिए बड़े मीडिया एकाधिकार पर रोक और प्रतिस्पर्धी माहौल। रेडियो पर समाचार प्रसारण को लेकर राज्य का एकाधिकार समाप्त हो।

4. लोक सेवा मीडिया संस्थानों को समर्थन मिले। राज्य के स्वामित्व वाले मीडिया (या राज्य समर्थित स्वायत्त संस्थान जैसे दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी) को विकेन्द्रीकृत, पेशेवर और स्वायत्त प्रबंधन संरचनाओं के साथ सच्चे लोक सेवा संस्थानों में तब्दील किया जाए।
 5. वायु तरंगों को लोक अमानत के रूप में समझा जाए और इसका उपयोग बेजुबान को सामुदायिक रेडियो (सीआर) के रूप में या सामुदायिक मीडिया के अन्य रूपों में आवाज देने के लिए हो। इसमें समसामयिक मुद्रों पर प्रसारण भी शामिल हो। टेलीविजन, इंटरनेट और रेडियो प्रोग्रामिंग लोगों को मुहैया करने के लिए लोक-वित्त पोषण की पहल को हम प्रोत्साहित करते हैं।
 6. जन (मास) मीडिया को नियंत्रित करने की बड़ी कंपनियों की प्रवृत्ति एक चुनौती है। इसलिए मीडिया घरानों के स्वामित्व या किसी भी अंतर्निहित प्रबंधन नियंत्रण के बारे में पूर्ण पारदर्शिता जरूरी है, साथ ही जहां कहीं हितों का टकराव हो, तो उसकी घोषणा भी आवश्यक है।
- 4. समुदायों के बीच भाइचारे को बढ़ावा**
- भारत का यह दृढ़ विश्वास रहा है कि विभिन्न धर्मों के लोग, बिना किसी वर्चस्व या भेदभाव के, एक ही देश के भीतर सह अस्तित्व में रह सकते हैं। स्वराज अभियान का मानना है कि धर्मनिरपेक्षता एक सकारात्मक धारणा है, केवल धार्मिक पूर्वाग्रह का निषेध नहीं है। इसका आधार होना चाहिए :
- एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का संवैधानिक सिद्धांत, जो सभी धर्मों से एक सैद्धांतिक दूरी रखता है।
 - धार्मिक स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक प्रावधान।
 - अल्पसंख्यकों के अपने विश्वासों और प्रथाओं के पालन के लिए संवैधानिक प्रावधान।
 - धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक परंपराओं की विविधता का उत्सव।

हमारी नीति

1. संवाद, बातचीत और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के माध्यम से समुदायों के बीच आपसी समझ को प्रोत्साहन और बढ़ावा मिले। सामाजिक और धार्मिक विविधता के लिए निजी कंपनियों, शैक्षिक संस्थानों, आवास समितियों को प्रोत्साहित किया जाए।
2. सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए राज्य की सच्चे मन से प्रतिबद्धता हो। राज्य सांप्रदायिक दंगों के सभी पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करे। जहां आवश्यक हो फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना हो। सांप्रदायिक हिंसा को नियंत्रित करने के अपने कर्तव्य का पालन करने में विफल अधिकारियों को सजा के लिए कानून बने। निजी सेना या सशस्त्र समूह बनाने के किसी भी प्रयास, विशेष रूप से सांप्रदायिक संगठनों द्वारा होने वाले ऐसे प्रयास को रोका जाए।

3. राज्य या व्यक्तियों द्वारा किसी भी रूप में भेदभाव, विशेष रूप से (नौकरी में) भर्ती या मकान किराए पर देने या शिक्षण संस्थानों के दाखिले में होने वाले भेदभाव को समाप्त करने के लिए राज्य को सक्रिय कदम उठाने चाहिए।
4. एक राज्य में एक बहुसंख्यक समुदाय दूसरे राज्य में वंचित या अल्पसंख्यक हो सकता है। अल्पसंख्यक समुदायों के लिए प्रदान की गई सुरक्षा-सुविधा उन्हें वहाँ उपलब्ध होनी चाहिए।
5. न तो बहुमत-विश्वास और न ही अल्पसंख्यक अधिकार का प्रयोग उन प्रथाओं का औचित्य साबित करने के लिए हो जो हमारे संविधान में निहित सभी स्त्री-पुरुषों के बुनियादी अधिकारों और मूल्यों का उल्लंघन कर रहे हों।

VII. शांति के रूप में स्वराज : मानव सुरक्षा : आंतरिक और बाहरी

स्वराज के साथ सुरक्षा का सवाल जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता और स्वैच्छिकता के अभाव में किसी भी तरह के स्वशासन की कल्पना ही बेमानी है। हमारे लिए, स्वराज सिर्फ राष्ट्रीय संप्रभुता और बाहरी शक्तियों से रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वराज के विचार में आंतरिक और बाह्य, दोनों तरह की सुरक्षा शामिल है। हर किसी के लिए स्वराज, देश के भीतर हो या बाहर, हमारे देश के लिए हो या अन्य देशों के लिए, सब को शांति के आदर्श की ओर ले जाता है। यहाँ सुरक्षा का मतलब सिर्फ सशस्त्र आक्रमण और हिंसा से सुरक्षा नहीं है। इसमें मानव सुरक्षा, भूख या अपमान से सुरक्षा तथा जीवन की जरूरतों की पूर्ति और आजीविका के साधनों तक पहुंच भी शामिल है। मानव सुरक्षा का यह व्यापक परिप्रेक्ष्य स्वराज अभियान की नीतियों का मार्गदर्शन करेगा।

आंतरिक सुरक्षा की चुनौती को सिर्फ कानून और व्यवस्था की समस्या के रूप में देखना ठीक नहीं होगा। आतंकवाद और सुनियोजित हिंसा से नागरिकों की प्रभावी ढंग से रक्षा करते हुए नागरिकों के अलगाव के मूल कारणों को दूर करने पर हमारी आंतरिक सुरक्षा नीति केंद्रित होगी। इसके लिए आवश्यक है मूलभूत राजनीतिक विकेन्द्रीकरण, विमुख समूहों के साथ वार्ता, लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार और सम्मान। बाह्य क्षेत्र में स्वराज का मतलब है राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा, वैश्विक स्तर पर प्रभावी एवं सामरिक हस्तक्षेप में अपनी क्षमता वृद्धि और निष्पक्षता, न्याय तथा शांति को बढ़ावा देने के लिए अपनी वैश्विक उपस्थिति का उपयोग।

1. विदेश नीति

भारत की विदेश नीति को गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत से स्वराज के सिद्धांत की ओर ले जाने की जरूरत है। एक नकारात्मक और रणनीतिक अनिवार्यता से एक सकारात्मक और भारतीय लोगों की आवश्यकताओं, साथ ही दुनिया भर के आम आदमी के प्रति हमारे दायित्व के सैद्धांतिक अनुगमन की ओर बढ़ना है।

भारत की विदेश नीति निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए :

- बाह्य क्षेत्र में सामरिक स्वायत्ता हासिल करने के लिए राष्ट्रीय हित को बढ़ावा। साथ ही, इसे आम आदमी की वास्तविक जरूरतों को ध्यान में रख पुनर्परिभाषित करने

की जरूरत है।

- शांति का समर्थन और पड़ोस या देश से बाहर युद्ध का विरोध करने के लिए राज्य की क्षमता बढ़ाना।
- एक बहुध्रुवीय और पारिस्थितिकी के प्रति संवेदनशील दुनिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय फलक पर तेजी से काम करना।
- वैश्विक परिदृश्य में भारत के लिए एक उचित स्थान हासिल करना, एक कठोर शक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक आदर्श के रूप में।

हमारी नीति

1. **वैश्विक संस्था** : सही मायने में वैश्विक संस्थानों, जैसे संयुक्त राष्ट्र और इसकी विभिन्न एजेंसियां (जो जी-20 और आईएमएफ जैसी नहीं हैं) की शक्ति और वैधता को बढ़ावा देने और 'महान शक्ति के अपवाद' से परे सक्रिय भूमिका निभानी होगी।
2. **विश्व शक्तियों के साथ संबंध** : संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ दीर्घकालीन और सुविचारित जुड़ाव, साथ ही अन्य शक्तियों और शक्ति-समूहों जैसे इब्सा, ब्रिक्स और इसी तरह की अन्य संरचनाओं के साथ गहरा जुड़ाव होना चाहिए। अमेरिकी वर्चस्व बनाए रखने के लिए दूसरे दर्जे का भागीदार बनने से इनकार करना होगा।
3. **चीन** : चीन की तरफ से होने वाली सीमा घुसपैठ को रोकने की क्षमता में वृद्धि करनी होगी, लेकिन चीन विरोधी गुट में शामिल नहीं होना चाहिए। भारत-चीन संबंधों का फोकस अधिक से अधिक संतुलित व्यापार तथा भारत-चीन के बीच सभ्यता आदान-प्रदान की बहाली पर हो।
4. **दक्षिण एशिया** : क्षेत्र की एक प्रमुख ताकत के रूप में भारत को अपने पड़ोसियों को आश्वस्त करने के लिए, राजनीतिक दुश्मनी को कम करने, क्षेत्रीय अर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने और क्षेत्र की ऐतिहासिक और पारिस्थितिकी एकता को मजबूत करने के लिए सक्रिय कदम उठाने की जरूरत है। छिद्रपूर्ण सीमाओं से होकर आये शास्त्रार्थियों की बड़ी तादाद से उठे सामाजिक, अर्थिक और भू-राजनीतिक मुद्दों को हल करने के लिए गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए।
5. **पाकिस्तान** : सीमापार से आतंकवाद को कतई सहन नहीं किया जा सकता। गैर-बाधित संवाद, विश्वास बहाली के उपायों, द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा और सीमा के दोनों तरफ आसान आवागमन के जरिए संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में काम करना होगा। पाकिस्तान को स्थिर करने और आपसी विश्वास पैदा करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। अस्थिर पाकिस्तान भारत के भविष्य को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा।
6. **बाकी दुनिया** : अर्थिक अवसर के एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में एशिया के साथ जोरदार जुड़ाव, पश्चिम एशिया में लोकतांत्रिक ताकतों के साथ जुड़ाव, अफ्रीका के साथ गैर-शोषक संबंध और लैटिन अमेरिका के साथ साझेदारी की जरूरत है।
7. **वैश्विक पर्यावरण** : पारिस्थितिक संरक्षण पर वैश्विक और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना

चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से सभी वैश्विक साझी संपदा के वैश्विक निरक्षण की वकालत की जानी चाहिए। अत्यधिक दोहन, कचरे, तेल और अन्य विनाशकारी तत्वों की डंपिंग को रोकने के लिए संसाधन उपयोग के वाणिज्यिक तौर-तरीकों का विनियमन (रेगुलेशन) हो।

8. स्वराज अभियान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लोकतंत्रीकरण की वकालत करता है और मानता है कि वीटी का अधिकार समाप्त कर दिया जाना चाहिए। हमारा यह भी मानना है कि संयुक्त राष्ट्र को, अपने वर्तमान स्वभाव के विपरीत, दुनिया भर में संघर्ष को रोकना और दुनिया को इससे बचाना चाहिए।

2. आंतरिक सुरक्षा

दुनिया भर में भारत आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा के खतरों से सबसे ज्यादा पीड़ित देशों में से एक है। विदेशी प्रशिक्षित आतंकवादियों के गुटों, विद्रोहियों, वामपंथी अतिवादियों, और कई क्षेत्रों में सक्रिय राज्य समर्थित निगरानी समूहों के साथ आतंकवाद और आंतरिक सुरक्षा की चिंता भारत की निरंतर बनी रहने वाली समस्याएं हैं।

आंतरिक सुरक्षा निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए :

- आंतरिक सुरक्षा को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, न कि कानून और व्यवस्था की समस्या के रूप में।
- राजनीतिक समाधान के माध्यम से हिंसा और जवाबी हिंसा के दुश्चक्र को तोड़ा जाए।
- विद्रोह और असंतोष से निपटने के लिए लोकतांत्रिक तरीके विकसित हों।
- शशस्त्रबलों, सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को संसदीय और संवैधानिक निगरानी के तहत काम करना चाहिए।

हमारी नीति

1. नागरिकों के अलगाव की भावना को राजनीतिक समाधान, जैसे सत्ता का वास्तविक हस्तांतरण और सहभागितापूर्ण शासन और नीचे से ऊपर नियोजन के माध्यम से समावेशी विकास द्वारा दूर किया जाए। विद्रोहियों के साथ बातचीत का लगातार प्रयास होना चाहिए।
2. सुरक्षाकर्मियों के प्रशिक्षण और उन्हें ऐशेवर तकाजों के अनुरूप ढालने तथा लोगों की चिंताओं के प्रति संवेदनशील बनाने का काम हो। लोकतांत्रिक असहमति से निपटने के करुणामय तरीके विकसित किए जाएं।
3. खुफिया एजेंसियाँ : रॉ, आईबी और एनटीआरओ (नेशनल टेक्निकल रिसर्च आर्गनाइजेशन, एक तकनीकी खुफिया एजेंसी, जो प्रधानमंत्री कार्यालय से संचालित होती है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के तहत काम करती है) में वित्तीय और परिचालन जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए संसदीय निगरानी की आवश्यकता है।
4. राज्य द्वारा गैर-संवैधानिक तरीकों का कोई उपयोग न हो। राज्य समर्थित निगरानी समूहों को हथियारविहीन और विघटित किया जाए, जहां भी ग्रामीणों ने बलात्कार,

आगजनी और हमले के लिए कोर्ट में हलफनामे दायर किए हैं, सरकार को आरोपियों पर मुकदमा शुरू करना चाहिए।

5. सशस्त्रबलों, सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को सख्त संसदीय निगरानी के तहत काम करने का प्रावधान कर सशस्त्र बलों की जवाबदेही बढ़ाई जाए।
6. आधुनिक भारत के राजनीतिक और सैन्य इतिहास पर एक ईमानदार सार्वजनिक बहस के साथ-साथ, इतिहास का सही बहुआयामी दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए एक अप-वर्गीकृत प्रोटोकॉल की स्थापना की जाए।

पूर्वोत्तर में स्वराज

- हम पूर्वोत्तर को भारत के अभिन्न अंग के रूप में देखते हैं। इसका मतलब है कि पूर्वोत्तर की बहुत सांस्कृतिक विरासत हमारी राष्ट्रीय विरासत है। पूर्वोत्तर के नागरिकों का सुख-दुख पूरे देश का सुख-दुख होना चाहिए, उनकी आकांक्षाएं पूरे देश की जिम्मेवारी होनी चाहिए।
- पूर्वोत्तर के लिए नहीं बल्कि पूर्वोत्तर के साथ बैठकर योजना बने। स्वराज के सिद्धांतों और नीतियों का पूर्वोत्तर में पूरा विस्तार हो। पूर्वोत्तर में देश विभाजन से व्यापार और वाणिज्य के टूटे मार्गों को फिर से जोड़ने के लिए और बुनियादी ढांचे (जैसे- सड़क, परिवहन, संचार, बिजली और बैंकिंग) को विकसित करने में विशेष सहायता की जाए।
- उग्रवाद को मुख्य रूप से राजनीतिक वार्ता के माध्यम से, शिकायतों और लोगों की आकांक्षाओं से मुख्यातिक होते हुए हल किया जाए, न कि कानून और व्यवस्था की समस्या के रूप में।
- एएफएसपीए (अफस्पा) को निरस्त किया जाए, यह दमन का एक प्रतीक और पूर्वोत्तर के लोगों के खिलाफ भेदभाव का एक औजार बन गया है।
- भारत में बांग्लादेश के भीतर से आने वाले आप्रवासियों की सावधानी से निगरानी और विनियमन हो।

कश्मीर में स्वराज

स्वराज अभियान कश्मीर को भारत के एक अभिन्न अंग की तरह देखता है। हमारे लिए इसका मतलब यह है कि हम कश्मीर के दर्द को अपना दर्द मानते हैं। हम ऐसे भारत का सपना देखते हैं जहां बाकी भारत के लोग कश्मीरियों के प्रति और कश्मीरी बाकी देश के प्रति ऐसा ही लगाव रखें। कश्मीर और बाकी भारत की भावनात्मक एकता के बिना भारत की राष्ट्रीय एकता अधूरी है।

कश्मीर विवाद सिर्फ जमीन की मलकियत का विवाद नहीं, बल्कि एक मानवीय त्रासदी है। जम्मू और कश्मीर सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, वहां इंसान बसते हैं। इसलिए कश्मीर समस्या के समाधान के लिए वहां के बहुसंख्यक समुदाय के दर्द, अलगाव और आकांक्षाओं, कश्मीरी पंडितों की अपने घर से बहिष्कृत होने की पीड़ा और जम्मू तथा लद्दाख की जनता की क्षेत्रीय स्वायत्ता की आकांक्षा का सम्मान करने की जरूरत है।

कश्मीर समस्या का समाधान गोली-बंटूक से नहीं हो सकता। एक लोकतांत्रिक देश में आंतरिक सुरक्षा के लिए फौज की तैनाती और अपने ही नागरिकों के विरुद्ध उसका इस्तेमाल गर्व का विषय नहीं हो सकता है। यह दुनिया में भारत की छवि और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के लिए तो बुरा है ही, दीर्घकाल में आंतरिक सुरक्षा और सुरक्षाबलों के हौसले के लिए भी हानिकारक है। इसलिए AFSPA जैसे अलोकतांत्रिक कानून को तकाल रद्द कर देना चाहिए। सुरक्षाबलों द्वारा बेकसूर नागरिकों पर गोलीबारी या दुर्व्यवहार की हर शिकायत की विश्वसनीय जांच होनी चाहिए। जम्मू और कश्मीर में नागरिक सुरक्षा के लिए तैनात फौज को जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए।

कश्मीर समस्या का समाधान सिर्फ आपसी बातचीत और राजनैतिक समझौते द्वारा ही संभव है। धारा 370 जम्मू और कश्मीर पर किसी भी बातचीत का प्रस्थान बिंदु है। हम धारा 370 को समाप्त करने के विरुद्ध हैं। बल्कि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के भीतर जम्मू और कश्मीर को जितनी अधिक स्वायत्ता दी जा सकती है, वह मिलनी चाहिए। कश्मीरी पंडितों को सम्मान और सुरक्षित कश्मीर घाटी में वापस बसने की व्यवस्था होनी चाहिए। जम्मू और लद्दाख को अधिकतम संभव क्षेत्रीय स्वायत्ता मिलनी चाहिए।

समस्या के दीर्घकालिक समाधान के लिए राज्य की जनता के रोजमरा के मुद्दों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार की समस्या को सुलझाने और बुनियादी ढांचे का विकास होना चाहिए।

नक्सली सवाल

- नक्सलवाद लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और उत्पीड़न के सबसे भयावह रूप को हटा पाने में भारतीय राज्य की अक्षमता का परिणाम है। नक्सलवाद से निपटने के लिए, इन मुद्दों का प्रभावी ढंग से सामना करने की आवश्यकता होगी।
- इन क्षेत्रों में सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए ज्यादा राष्ट्रीय व्यव किया जाए। बिजली और पीने के पानी, परती भूमि के पुनः उपयोग, खनन गतिविधि में कमी और भूमि सुधार के जरिए भूमिहीनता की समस्या के समाधान की व्यवस्था हो।
- उग्रवादियों, मानवाधिकार संगठनों, जन-आंदोलनों और राजनीतिक दलों के बीच बहुपक्षीय संवाद हो।
- प्रभावी राजनीतिक विकेंद्रीकरण द्वारा शासन और प्रशासन के सुधार तथा अधिक से अधिक सांस्कृतिक और आर्थिक स्वायत्ता के साथ एक अलग आदिवासी बहुल राज्य की मांग पर विचार हो।
- नक्सल प्रभावित इलाके में निर्दोष नागरिकों और कार्यरत अधिकारियों और सुरक्षाबलों पर सशस्त्र हमलों का मुकाबला करने के लिए सुरक्षाबलों का उपयोग किया जाना पड़ेगा, लेकिन यह अंतिम विकल्प होना चाहिए।
- वार्ताकारों का एक समूह बनाया जाए जो सभी संबंधित पक्षों के साथ निरंतर संवाद करे और शांति वार्ता भी आरंभ करे। इस समूह द्वारा संघर्ष विराम और सशस्त्र संघर्ष के परित्याग का आहवान किया जाए।
- आदिवासी क्षेत्रों में आदिवासियों के अधिकारों के उल्लंघन पर एक राष्ट्रीय जांच हो। प्रभावित जिलों में सभी कैदियों, विशेष रूप से आदिवासियों और दलितों के मामलों की समीक्षा के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन हो।
- पंचायत अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम, 1996 (पेसा) के कार्यान्वयन का विस्तार हो।
- जंगल, खनिज आदि की तरह प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की प्रमुख परियोजनाओं में स्थानीय सहमति आवश्यक हो। पुनर्वास और मुआवजे के मसलों को अंतिम परियोजना अनुमोदन से पहले हल किया जाए। लाभ की हिस्सेदारी के निर्धारण के लिए एक नए मॉडल का विकास किया जाए, जहां इन संसाधनों से रॉयल्टी स्थानीय लोगों को प्राप्त हो।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली जैसी सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता में सुधार और विभिन्न सार्वजनिक संस्थानों के साथ आसान सुविधा के लिए समयबद्ध पहल आरंभ हो।

3. राष्ट्रीय सुरक्षा

राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए को राज्यक्षेत्र के संकीर्ण दायरे से पेरे आम जनता के सच्चे हित और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखकर विस्तार करना चाहिए। बाहरी रक्षा का आधार होना चाहिए :

- अपने पड़ोसियों के साथ शांति के लिए एक दीर्घकालिक दृष्टि।
- सैन्य चुनौतियों का यथार्थवादी आकलन और रक्षा खरीद-व्यय में संभावित कमी।
- रक्षा खरीद में पारदर्शिता।
- मध्य और दीर्घकालिक दोनों रणनीति में आत्मनिर्भरता।

हमारी नीति

1. उच्च रक्षा प्रबंधन : पेशेवर प्रबंधन रक्षा मंत्रालय और तीनों सेनाओं के एकीकरण की जरूरत है। अलग-अलग सेना प्रमुखों के ऊपर एक मुख्य सेना प्रमुख (मुख्य डिफेंस स्टाफ) हो। राष्ट्रीय सुरक्षा निर्णय लेने की प्रक्रिया में रक्षा सेवाओं को शामिल किया जाना चाहिए। निवाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से सेना पर नागरिक नियंत्रण हो।

2. सैन्य खर्च, खरीद और स्वदेशी उत्पादन: एक यथार्थवादी खतरा आकलन तंत्र विकसित करने की जरूरत है। और इस तरह धीरे धीरे समय के साथ हथियारों और अन्य रक्षा उपकरणों की हमारी खरीद को कम करने का प्रयास होना चाहिए। स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्सहित करना होगा। रक्षा खरीद में अधिक से अधिक पारदर्शिता होनी चाहिए। रक्षा खर्च में कमी हो।

3. वैश्विक परमाणु भंडार की सीमा तय करने के लिए एक वैश्विक प्रथम-प्रयोग-निषेध परमाणु नीति और एक (सत्यापनीय विखंडनीय सामग्री कटौती) संधि को आगे बढ़ाना होगा।

4. पड़ोसी देशों के साथ रक्षा रिश्ते : 'विश्वास बहाली के उपायों' और पाकिस्तान और चीन के साथ आपसी संतुलित सेना में कमी (म्युचुअल बैलेंस्ड फोर्स रिडक्शन, एम्बीएफआर) के लिए काम करना चाहिए। अपने क्षेत्र में परमाणु निरस्त्रीकरण और परमाणु मुक्त क्षेत्र की दिशा में काम करना चाहिए।

5. सैन्य कार्मिक : रक्षा सेवाओं के कर्मियों का केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में पाश्व प्रेरण, सतत प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन, सैन्य समुदाय के कल्याण को प्राथमिकता हो; समुद्र में और साथ ही भूमि पर दोनों में सुरक्षा का कोई निजीकरण नहीं होना चाहिए।

6. रक्षा विभाग देश में भूमि का सबसे बड़ा मालिक है। रक्षा विभाग की भूमि के अतिक्रमण और व्यावसायीकरण को तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए।

7. भारत की इंटरनेट सुरक्षा और भारत के नागरिकों की गोपनीयता सुरक्षित सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक और सुरक्षित प्रोटोकॉल फ्रेम करने की जरूरत है।

8. एक राष्ट्रीय सामरिक समूह बनाने की जरूरत है जो खाद्य सुरक्षा, जल सुरक्षा, शांति और न्याय, रोजगार, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा, व्यापार और वाणिज्य सुरक्षित और गतिशील रखने के संदर्भ में, श्वेत पत्र के माध्यम से, अगले 50 वर्षों के लिए राष्ट्रीय हित को परिभाषित करे।